पंचम माला, खंड 44, अंक 34, बुधवार, 4 सितम्बर 1974/13 भाद्र, 1896 (शक)
Fifth Series. Vol. XLIV. No. 34. Wednesday, Sept. 4, 1974/Bhadra 13, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवाँ सत्र / Eleventh Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 44 में अंक 31 से 38 तक हैं / Vol. XLIV Contains Nos. 31 to 38]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मुल्य : दो रूपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इस में अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/Contents

अंक 34, बुधवार, 4 सितम्बर, 1974/13 भाद्र, 1896 (शक)

No. 34, Wednesday, September 4, 1974/Bhadra 13, 1896 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Adjournment Motion	1—10
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	10—14
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	14—17
राज्यसभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	17
एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) संशोधन विधेयक—सभा-पटल पर रखा गया	Esso (Acquisition of Undertakings in India) Amendment Bill—Laid	17
नियम समिति	Rules Committee	18
कार्यवाही-सारांश—सभा पटल पर रखा गया	Minutes—Laid	18
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	18
तीसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	Thirtieth Report—presented	18
दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तेंदुए तथा चीते की खालों के पकड़े जाने के बारे में दिनांक 26 अगस्त 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 493 के बारे में वक्तव्य	Statement Re. S. Q. No. 493 dated 26-8-74 about Seizure of Leopard and Tiger Skins at Delhi Railway Station	18
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B. P. Maurya	18
मंत्रि-परिषद में अविश्वास प्रस्ताव	Motion of No Confidence in the Council of Ministers	18—20
संविधान (36 वां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Thirty-Sixth Amendment) Bill	20—21
विचार किये जाने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	21—25
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	25—26
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	26
श्री भोग्रेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	26—27
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	27—29

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi	29—31
श्री दिनेश चन्द्र गोस्सवामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	31—33
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	33—34
श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan	34
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	34—35
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P. R. Shenoy	35—36
श्री सी० टी० दंडपाणि	Shri C. T. Dhandapani	36—37
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	37—38
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	38—40
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	40
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	40—41
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	41—42
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait	42
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakhappa	42—43
श्री त्रिदिव चौधरी	Shri Tridib Chaudhuri	43
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	43
खंड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	62
श्री च० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	62
श्री मधु लिमिये	Shri Madhu Limaye	62
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	62—63
श्री शंकर देव	Shri Shankar Dev	63

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 4 सितम्बर, 1974 / 13 भाद्र 1896 (शक)
Wednesday, September 4, 1974/Bhadra 13, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair

स्थगन प्रस्ताव के बारे में
RE. ADJOURNMENT MOTION

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब कृपया बठ जाइये ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एक मामला दर्ज कराया गया है । सभा की कार्यवाही आरंभ होने से पूर्व मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है अथवा नहीं ? आप इस सभा में अध्यक्ष हैं अतः यह एक गंभीर मामला बन जाता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

श्री समर गुह : यदि आप इसका स्पष्टीकरण नहीं करते तो इस सर्वोच्च सभा क अध्यक्ष की प्रतिष्ठा पर सन्देह की छाप पड़ जायेगी ।

Shri Jagannathrao Joshi : (Shajapur) : I have raised a metter regarding teachers, under Rule 377 ..... (*Interruptions*)

श्री ज्योतिर्मय बसु : कार्य मंत्रणा समिति कोई निर्णय नही ले सकी है इसलिये सभा की कार्यवाही ठप्प हो गई है ।

श्री शामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : और सरकार अब अपनी इच्छानुसार हर बात हम पर नहीं थोप सकती ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रधान मंत्री का जाली हस्ताक्षरों जैसे संगीन मामले पर चर्चा नहीं होने देना चाहतीं। आप नियम 190 के अधीन अपनी शक्तियों का उपयोग करके तत्संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख निश्चय करें। प्रधान मंत्री सभा की प्रतिष्ठा को सम्मान देना नहीं चाहती और अपने भ्रष्ट मंत्रियों को बचा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आप लोग हमेशा ही ऐसे शुरू कर देते हैं। यह मामला स्थगन प्रस्ताव का निर्णय कैसे बन सकता है ? यदि कार्य मंत्रणा समिति सभा की कार्यवाही के बारे में कोई निर्णय नहीं कर पाती तो फिर इस सूरत में भी कोई न कोई प्रक्रिया है, नियम हैं।

श्री शामनन्दन मिश्र : सभा के सामने कोई कार्य नहीं है। यह एक गंभीर मामला है। जब तक कार्य मंत्रणा समिति कोई निर्णय नहीं करेगी हम काम नहीं कर सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप कृपया स्पष्ट करें कि प्रधान मंत्री इतने दिन से चर्चा क्यों नहीं होने दे रहीं ?

Shri Jagan Nath Rao Joshi : You have admitted the motion of Shri Vajpayee but have not allotted any time. Please allot it now...(*Interruptious*)

अध्यक्ष महोदय : यदि एक प्रक्रिया प्रभावी नहीं होती तो इसका यह अभिप्राय तो नहीं कि कोई स्थगन प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव या कोई अन्य प्रस्ताव जरूर आना चाहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मधुलिमये (बाँका) : मेरा भी एक व्यवस्था का प्रस्ताव है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार के जिद्दी रवये के कारण कार्य मंत्रणा समिति कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकी और इस प्रकार सभा के सामने एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। अब सभा यह निर्णय करे कि इस स्थिति में क्या किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: इस संबंध में नियम बड़े ही स्पष्ट हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं कि कोई स्थगन या समिति के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पेश होना चाहिये। समिति की रिपोर्ट सभा के सामने आ जाती है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि समिति किसी निष्कष पर पहुंचने में असमर्थ रही, क्योंकि कुछ सदस्य किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके ?

Shri Madhu Limaye : My point of order is as under :—

> "The total failure of the Government to preserve the freedom of the press inasmuch as the Government has not secured the undelisting of 'Search Light' and 'Pradeep', the two Patna dailies, by the Bihar Government and has even failed to ensure the payment of the advertisement arrears due to these newspapers of nearly a million rupees,"

The Freedom of the Press comes within the purview of the Centre. The Government of Bihar has refused to pay arrears of Rs. 10 lakhs. What for is the Press Council Then ? It is quite admissible under the rules.... (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : बिहार सरकार का मामला हमारी सभा में कैसे उठ सकता है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : प्रेस की स्वतंत्रता केन्द्र सरकार का विषय है, राज्य सरकार का नहीं ।

Shri Madhu Limaye : They are neither giving new advertisements nor are they paying the arrears.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The Constitution of India guarantees the freedom of Press and also the freedom of expression; and we have taken the oath to protect the provisions of the Constitution. So, we have to see whether or not a State Government is working according to the Constitution.

Mr. Speaker : Courts are open for appeal against any action contravening the Constitution. We are not sitting here as judicial courts to decide on these issues. How can we intervene in the State Affairs.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Certainly we cannot remain spectators also. The Centre can very well issue directives.

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हम यहाँ यह देखने के लिए बैठे हैं कि सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे और संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न श्री भोगेन्द्र झा के स्थगन प्रस्ताव के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : कितने मामले एक साथ चलायेगें ? इस प्रकार तो यह हा-हुल्ला हो रहा है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : कृपया मेरी बात सुन लें । एक स्थगन प्रस्ताव तो मूल्यों में वृद्धि के बारे में श्री भोगेन्द्र झा का है और दूसरा प्रस्ताव इस के बारे में है कि क्या कार्य मंत्रणा समिति ने 21 संसद सदस्यों के विरुद्ध प्रस्ताव पर चर्चा को स्वीकार किया है अथवा नहीं । मैंने, श्री श्यामनन्दन मिश्र तथा अन्य कई सदस्यों ने मिलकर एक प्रस्ताव किया है जिसमें श्री चट्टोपाध्याय अथवा श्री एल० एन० मिश्र या किसी अन्य के नाम का उल्लेख नहीं है । प्रधान मंत्री यहाँ बैठी हैं । हमने प्रस्ताव नियम 189 के अधीन दिया है, जिसमें कहा गया है कि "यदि अध्यक्ष किसी प्रस्ताव की सूचना को गृहीत कर लें परन्तु उसके लिए चर्चा हेतु कोई तारीख निश्चित न की गई हो . . . "

यह प्रस्ताव आपने स्वीकार कर लिया है इसमें कोई नाम नहीं है, बस 21 संसद सदस्यों के बारे में है । इसमें कहा गया है :—

"यह सभा इस सभा की एक समिति गठित करने का संकल्प करती है . . , "

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप तो अनेक मामले उठाये जा रहे हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रधान मंत्री यहाँ बैठी हैं । मेरा अनुरोध है कि संसदीय लोकतंत्र के हितों में, 21 संसद सदस्यों के नामों पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उन्हें साफ किया जाये । प्रधान मंत्री कहें कि इस मामले में संसदीय जाँच जरूरी है और वह करायी जाये ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): इस सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री मावलंकर प्राप्त हुए स्थगन प्रस्तावों की जानकारी देने के साथ साथ उन्हें गृहीत न करने के कारण भी बताया करते थे । आपको भी कई स्थगन प्रस्ताव मिले हैं तो आप भी कारण बतायें ताकि सभा अपने विचार व्यक्त कर सके ।

दूसरे, श्री मावलंकर कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय को अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा सभा के लिये मान्य मानते थे । अब यदि यह समिति किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाती है तो यह लोकतंत्र की एक प्रकार की मौत है और सारा मामला सभा के समक्ष आना चाहिए । मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य नहीं हूं और मुझे इस सभा के एक सदस्य के नाते यह जानने का हक है कि समिति कोई निर्णय क्यों नहीं कर सकी । यह इसलिये हुआ है कि 21 संसद सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले पर चर्चा नहीं करगई जा रही है । जब कुछ मंत्रियों के विरुद्ध कुछ आरोप हैं तो उन्हें अपनी स्थिति साफ करने के लिए वैसे भी चर्चा करानी चाहिये । इस हेतु श्री बसु तथा श्री लिमिये के प्रस्तावों पर उचित रूप से विचार किया जाये । मैं चाहता हूं कि यहाँ वातावरण भ्रमपूर्ण न हो और आप ऐसे तरीके से कार्य करें कि गंभीर से गंभीर विषयों पर भी यहाँ शान्ति से चर्चा हो सके ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने भी नियम 377 के अधीन सूचना दी है । हम आपकी यह बात तो मान लेंगे कि यह मामला केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, परन्तु जहां तक विज्ञान संबंधी नीति का प्रश्न है उसका प्रेस की स्वतंत्रता पर बहुत प्रभाव पड़ाता है । इसलिये मूल अधिकारों की रक्षा की दृष्टि से इस विषय पर यहाँ चर्चा होनी चाहिये । आप कृपया 'टाइम्स आफ इंडिया' में छपे समाचार को पिढ़िये ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो कोई बात पूरी ही नहीं होने देते । मैं एक विषय पर निर्णय करने के बाद ही तो दूसरा विषय ले सकता हूं ।

श्री समर गुह : श्री लिमिये के स्थगन प्रस्ताव के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रस्ताव सभा के समक्ष नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रस्ताव कार्य मंत्रणा समिति के बारे में है । सरकार के जिद्दी रवैये के कारण समिति अपना कार्य नहीं कर सकी है । इससे सभा के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है कि सभा क्या करे । सभा इस बारे में विचार करक कोई निष्कर्ष निकाले ।

श्री **श्याम नन्दन मिश्र :** यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है । हम एक इंच भी आगे नह बढ़ सकते । सब कार्य ठप्प हो गया है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The House cannot stop functioning in csae the B.A.C. is not able to come to any conclusion. The report of the proceedings then can be demanded. But nothing has been said here as to how this deadlock would be res lved. How can be proceed then ?

Mr. Speaker : Only the agreed decisions are brought before the House. There are many agreements and disagreements in the B.A.C. but you cannot bring an adjournment motion in case there is disagreement.

श्री ज्योतिर्मय बसु : फिर आज की कार्य सूची का आधार क्या है ?

श्री प्रबोध चन्द्र (गुरदासपुर) : श्री ज्योतिर्मय बसु सभा के लिये एक मुसीबत हैं। वह सभा का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें सभा से निष्कासित कर दिया जाये. . . (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय सदस्य को इस्पात के कुछ परमिट दिये जायें।

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 289 के अनुसार कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें एक प्रतिवेदन के रूप में सभा में पेश होनी चाहियें। इस के पेश होने के बाद नियम 290 के अनुसार एक प्रस्ताव रखा जाये कि यह सभा उक्त प्रतिवेदन को स्वीकारती है, संशोधित रूप में स्वीकारती है या अस्वीकार करती है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री समर गुह : संसदीय कार्य मंत्री को उक्त रिपोर्ट पेश करनी चाहिए थी। हर सदस्य को यह जानने का हक है कि कोई मद क्यों शामिल की गई अथवा क्यों शामिल नहीं की गई।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये अगले सप्ताह के लिये सभा की कायवाही की सूचना देते समय सदस्यों को विभिन्न प्रश्न पूछने के लिये कुछ समय दिया जाता है।

श्री समर गुह : संसदीय कार्य मंत्री ने काँग्रेसी सदस्यों को व्हिप जारी किया है कि कुछ महत्वपूर्ण मामले सभा के समक्ष हैं अत: वे सभी उपस्थित रहें। इसलिये उनको यह प्रतिवेदन सभा के सामने भी रखना चाहिये था।

श्री भोगेन्द्र झा : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं। जब आपका विषय आये तब आप अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाइये, जो कि विचाराधीन मामले के संबंध में ही हो सकता है।

कार्य मंत्रणा समिति के बारे म प्रस्ताव अध्यक्ष को मिला था और उसे अधिकार है कि वह उसकी जाँच करे तथा स्वीकार अथवा अस्वीकार करे। अब प्रश्न यह है कि चर्चा किस विषय पर हो इसके लिए नियम 290 है। यह विषय सभा के नेता की सलाह से लिया जाता है। उसके लिये कार्य मंत्रणा समिति बठती है। संसदीय कार्य मंत्री यहाँ बैठे हैं। समिति की बठक में सहमति अथवा असहमति में अध्यक्ष का दखल नहीं होता। मैं उस समिति का अध्यक्ष हूं। बीच-बचाव भी करता हूं, अपना मत भी रखता हूं आम तौर से निर्णय सर्वसम्मत होते हैं तथा कभी सर्वसम्मति नहीं होती है। जब कोई समझौता नहीं होता तो इसका यह अभिप्राय तो नहीं कि कोई स्थगन प्रस्ताव आना चाहिये।

यदि सरकार विपक्ष के किसी सुझाव को नहीं मानती तो विपक्ष स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। आखिर हमें प्रक्रियाओं के अनुसार ही तो चलना है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आज के आदेश पत्र के विषयों के बारे में हम आपका मार्ग दर्शन चाहते हैं। आदेश पत्र की प्रत्येक मद के लिए कौन समय निश्चित करता है। आप की अध्यक्षता में बनी कार्य मंत्रणा समिति का यह काम है। परन्तु उसने आज के आदेश पत्र की मदों का समय निश्चित नहीं किया है क्योंकि उस पर समिति में समझौता नहीं हो सका। अतः इस समय तो 'जारो आवर' है। अब आगे आप हमारा मार्ग दर्शन करें।

यह शायद पहला या दूसरा मौका इस सत्र में आया है जबकि कार्य मंत्रता समिति नई हुई है, और इसलिये एक गभीर स्थिति पैदा हुई है। क्या सभा को हक नहीं कि वह इस गतिरोध को दूर करे? इस समिति के सुचारू रूप से कार्य करने का दायित्व आपके कंधों पर है। अब यह समिति कार्य नहीं कर रही है। इसीलिये सभा का काम भी ठप्प हो गया हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बेकार में मुझसे बहस कर रहे हैं। आखिर मेरे पास कौन सी शक्ति है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, I am not a Member of the Business Advisory Committee. Am I not entitled to know what transpired in its meeting? Also, does the Rule 228 prohibit discussions on a subject on which the Leader of the House is not willing to have discussion? What does consultation mean then? Do you consider the Minister of Parliamentary Affairs as the Leader of the House? After all, you have to see the public interest also while consulting the Leader of the House. The Government is not willing to have a discussion because some Members of the ruling party are involved. Won't you, therefore, have a discussion ?

Mr. Speaker : I have no powers to force anything.

Shri Atal Bihar Vajpayee : There is a rule which says :—

> "It shall be the function of the Committee to recommend the time that should be allocated for the discussion of the stage or stages of such Government Bills and other business as the Speaker, in consultation with the Leader of the House, may direct for being referred to the Committee."

You have admitted our motions under Rule 184 but the Government did not agree in the Business Advisory Committee. Should you not see whether a discussion is necessary or not ? Do you take it that Prime Minister's decision would be final?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप वे अधिकार मत दीजिये जिनकी नियमों में व्यवस्था नहीं है।

श्री एल० एन० मुकर्जी : यह देखकर बड़ा खेद होता है कि एक अध्यक्ष इस मामले में बेबस है ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं नियमों का पालन न करूं तो आप कहते हैं कि मुझे नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिये, मुझको कोई अधिकार नहीं है। परन्तु अब आप मुझे अधिकार दे रहे हैं।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Then what should come before the the House under Rule 289 ? ...(*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : यदि इस प्रकार सभी बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। हर सत्र के दौरान आप लोग ऐसा ही करते हैं। आखिर मैं भी तो इस्पात का बना हुआ नहीं हूं। आप लोग रोज हुल्लड़ मचाते हैं, फिर थक जाते हैं तो घर जाकर सो जाते हैं और प्रातः फिर वही शुरू कर देत हैं। जब तक आप सब नहीं बैठ जाते मैं किसी सदस्य को नहीं पुकारूंगा।

Shri Shankar Dayal Singh : Business Advisory Committee is meant for recommending the subjects to be discussed in the House therefore, under Rule 289 let the B.A.C. be asked against to finalise the subjects, instead of wasting the time of the House.

Shri Shyamnandan Mishra : We agree to this. You please adjourn the House.

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप सभा को स्थगित कर दीजिये ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी बात सुनाई नहीं पड़ रही है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : कार्यमंत्रणा समिति में एक ऐसे मामले पर मतभेद हैं जिसने इस सदन के ही नहीं अपितु बाहर के लोगों को भी काफी उत्तेजित किया है। जब तक सदन में इस विषय पर चर्चा नहीं होती, हमारी संसद विश्व की नजरों में बदनाम हो जाएगी। यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। सरकार इसका सामना करने से क्यों डर रही है। वह क्यों नहीं हिम्मत से आगे बढ़ कर इसका जबाब देती। इस विषय पर चर्चा कराई जाए।

Shri Madhu Limaye : If there is no unanimity in the Business Advisory Committee then the only course is left under Rule 190. Has the speaker consulted the leader of the House and does the Leader possess any veto power ?

अध्यक्ष महोदय : मुझ खेद है मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता। नियम स्पष्ट है और जब कार्य मंत्रणा समिति नें निर्णय ले लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप मेरे तथा अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर विचार करें आपने नियम संख्या 189 के अन्तर्गत प्रस्ताव गृहीत किया है और नियम संख्या 189 में कहा गया है कि यदि अध्यक्ष किसी प्रस्ताव की सूचना गृहीत कर ले और ऐसे प्रस्ताव की चर्चा के लिए तिथि निश्चित न की जाए तो वह तुरन्त बुलेटिन में अनियत दिन वाले प्रस्ताव शीर्षक के अंतर्गत अधिसूचित करेगा। अब प्रश्न उठता है कि जब तिथि निश्चित न हुई हो तब क्या किया जाए। नियम संख्या 190 में कहा गया है कि अध्यक्ष सभा के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद और सभा के नेता के परामर्श से, ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का एक भाग नियत कर सकेगा।

आपने स्वयं माना है कि चर्चा आवश्यक है और आपने अपना निर्णय देने का भी आश्वासन दिया है।

कार्य मंत्रणा समिति ने निर्णय किया है कि ऐसे मामलों की चर्चा के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अल्प सूचना प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जाएगा। परन्तु मेरा अनुरोध है कि संसदीय प्रजातंत्र के हित में होगा कि समिति की बैठक फिर बुलाई जाए और हम बोलने का अवसर दिया जाए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दूसरा प्रस्ताव कपूर आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर श्री एल० एन० मिश्र को हटाने के बारे में है . . . (**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे (अकोला) : इस मामले पर गर्मा-गर्मी से कोई लाभ नहीं। नियम संख्या 190 में स्पष्ट कहा गया है कि अध्यक्ष, सभा के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद और सभा के नेता के परामर्श से ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का एक भाग नियत कर सकेगा।

नियम 288 के अंतर्गत समिति का कृत्य सभा क लिए कार्य निर्धारित करना है और नियम 289 के अंतर्गत समिति की सिफारिशें सभा को प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत की जाती है। नियम संख्या 290 में कहा गया हैं कि प्रतिवेदन के सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद किसी भी समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि सभा प्रतिवेदन को स्वीकार करती है या संशोधनों के साथ स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है।

परम्परा, यह रही है कि हर शुक्रवार संसदीय कार्य मंत्री अगले सप्ताह के कार्य की घोषणा करता है। गत शुक्रवार को इस विषय पर अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल नहीं किया गया था। अब अगर अगले शुक्रवार यह विषय हमारे सामने लाया जाएगा तो हम इस पर विचार करेंगे। यदि सदस्य चिन्तित हैं तो वे कार्य मंत्रणा समिति को इस संबंध में प्रतिवेदन पेश करने के लिए कह सकते हैं। नियमों में स्थगन प्रस्ताव पेश करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : नियम 190 के अनुसार अध्यक्ष महोदय सभा के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद सभा के नेता के परामर्श से ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक दिन या अधिक दिन दिन का एक भाग नियत कर सकता है। मैं इस संबंध में आपका विनिर्णय चाहता हूं। पिछले सोमवार कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार हेतु कई प्रस्ताव थे और मुख्यत: यह विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। नियम अनुसार आपको सभा के नेता से परामर्श लेना पड़ता है। यह परामर्श आप बैठक कै दौरान या उनक कक्ष में जाकर भी ले सकते हैं। यदि आपने सभा के नेता का परामर्श किया है तो कहिए कि आपने उनसे परामर्श किया है और यदि नहीं किया तो यह नियम 190 का उल्लंघन है। यदि परामर्श क उपरान्त कोई समझौता नहीं होता तो आपको अपना स्वविवेक प्रयोग में लाना होगा और इसके अतिरिक्त आपके पास कोई विकल्प नहीं। आपकी राय सार्वजनिक महत्व के विषय के पक्ष में होनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री मूलचन्द्र डागा (पाली) : नियम 189 के अधीन केवल अध्यक्ष ही किसी प्रस्ताव तथा अनियत दिन वाले प्रस्ताव को गृहीत कर सकता है। इसलिए इस नियम के अनुसार अध्यक्ष चर्चा के लिए समय नियत कर सकता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि चर्चा के लिए समय नियत करने का अधिकार सभा के नेता को है अथवा कार्य मंत्रणा समिति को। दस दिन पूर्व भी मैंने आपसे यही निवेदन किया था कि सभा के नेता एजेंडा में से किसी ऐसी मद को जिससे सरकार को असुविधा होती हो, निकाल नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो विरोधी पक्ष का कुछ महत्व ही नहीं रहेगा। वह बिल्कुल बेकार हो जएगा। यही वजह है कि हमारे प्रस्तावों को एजेंडा में स्थान नहीं मिला। कार्य-मंत्रणा समिति ने कोई समय नियत नहीं किया। अतः, इस मद पर चर्चा क लिए समय ही नहीं नियत किया गया ताकि इसे एजेंडा में रखा जा सके।

श्री समर गुह : इस मामले पर कार्य मंत्रणा समिति में भी चर्चा की गई थी कि सभा के नेता से परामर्श करने का वास्तविक आशय क्या है। आपसे पहले भी इस बारे में हमने प्रश्न किया था, पर आपने उत्तर नहीं दिया। ऐसी स्थिति पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई। सभा के समक्ष आने वाले सब कार्य कार्यमंत्रणा समिति में शान्ति-पूर्वक निपटा लिए जाते थे। आज आपको इस बारे में निर्णय देना होगा कि क्या आपने अपने अधिकार सभा के नेता को सौंप दिए हैं अथवा आपका निर्णय ही अंतिम है? जब तक रिपोर्ट सभा के समक्ष नहीं रखी जाती तब तक चर्चा कैसे हो सकती है?

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : पछले चार दिनों से हम इस विषय पर, कि लाइसेंस घोटाले की जांच हेतु संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाए, लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। ऐसा इसलिये किया जा रहा कि इसमें सदन की मान मर्यादा का प्रश्न निहित है। मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष तुरन्त कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित करें और नियम 190 के अधीन इस प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: मैं कह चुका हूं कि जब कार्य मंत्रणा समिति एक फैसला कर चुकी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे बैठक आयोजित करने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इसके लिये बाकी सब कार्य ठप्प कर दिया जाए। मैं इससे सहमत नहीं हूं।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं माननीय सदस्य श्री मधुलिमये द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव के बारे में कुछ कहना चाहता हूं आज के 'टाइम्ज आफ इण्डिया' में लिखा है कि बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों को निर्देश जारी कि हैं कि वे 'सर्चलाइट' और 'प्रदीप' को सूची से निकाले जाने से पूर्व इन में प्रकाशित विज्ञापनों के लिये राशि का भुगतान न करें। लगभग 10 लाख रुपये की राशि बकाया है।

सरकार ने इन समाचारपत्रों को अपनी मंजूरशुदा सूची से निकाल दिया है क्योंकि इन्होंने गफूर सरकार की कटु आलोचना की है। हमें इस मामले पर गंभीरता से विचार करना है। यह केवल विहार सरकार की ही समस्या नहीं है। यह तो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का प्रश्न है। वे समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का गला घोटने के लिये सरकार का संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हम इस संसद में इसे सहन नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव बिहार सरकार द्वारा जारी किये गये एक आदेश क बारे में है। इससे मंत्री महोदय का कोई संबंध नहीं है। यह तो कार्यकारी आदेश है। राज्य से संबंधित मामले को इस सदन में कैसे उठाया जा सकता है ?

जहां तक समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का संबंध है, यह बहुत बढ़ गई है। इन्होंने मेरे से भी धृष्टता करना आरंभ कर दया है। आज के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है कि : "आधिकारिक स्त्रोत के अनुसार, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने लोक सभा के अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करन के बाद ही इस मामले की जांच आरंभ की।"

यदि कार्यवाही को गलत बताया जाता तो दूसरी बात थी, किन्तु उन्होंने मेरे बारे में ही लिखा है कि कोई व्यक्ति आया और मैंने उसे अनुमति दी। यह नित्तांत अनुचित बात है।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : यह सारा मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। मैं ऐसा नहीं करूगा।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैंने मूल्यवृद्धि और अत्यावश्यक वस्तुओं के बाज़ार से गायब हो जाने के बारे में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लाखों लोग भूखे मर रहे ह। चावल 4 रु० से 8 रुपये प्रति किलो बिक रहा है और दिल्ली में चीनी 6 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि केवल जमाखोर और चोर बाजारिए ही देश पर शासन कर रहे हैं। एसी स्थिति में जबकि चालू सत्र समाप्त होने जा रहा है, अध्यक्ष महोदय मुझे अपना स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अहमदाबाद टेलिफोन डिस्ट्रीक्ट में एक टेलीफोन मोनीटर के महिला टेलीफोन अपरेटर के साथ कथित दुर्व्यवाहर के संबंध में वकत्व्य

संचार मंत्री (श्री ब्रहमानन्द रेड्डी) : मैं अहमदाबाद टेलीफोन डिस्ट्रीक्ट में एक टेलीफोन मोनीटर के कथित दुर्व्यवहार के बारे में कुमारी मणिबेन पटेल द्वारा नियम 377 के अधीन 12-8-1974 को सभा में उठाये गये मामले के उत्तर में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या ए० टी० 8377 / 74]

भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8378 / 74]

22–8–74 के तारांकित प्रश्न संख्या 461 के बारे में वक्तव्य

पूर्ति तथा पुर्नवास मंत्री (आर० के० खाडिलकर) : मैं तारांकित प्रश्न संख्या 461 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के दौरान दिये गये आश्वासन के अनुसरण में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं, जिसमें गुजरात में (शिविरों में) पाकिस्तानी नागरिकों को दी जान वाली सहायता की जानकारी दी गई है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8379 / 74]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा एंव राष्ट्रीय उत्पादिकता-परिषद् का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अनसारी) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) क अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली क वर्ष 1972–73 क कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटड, नई दिल्ली का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवदन, लखा परीक्षित लेख तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रख गये । देखिए संख्या एल० टी० 8380 / 74]

(2) राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1972–73 क वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया / दखिए संख्या 8381 / 74]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में
RE. ADJOURNMENT MOTION

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा अनाज की अभूतपूर्व कमी के बारे में चर्चा करने हेतु स्थगित हो . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : महोदया आप को यह निर्णय करना है कि स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी जाये या नहीं । इस प्रश्न पर सभा में चर्चा नहीं होनी चाहिये तथा सभा का समय नष्ट नहीं होना चाहिये । यदि आप इस प्रस्ताव को गृहीत नहीं करते तो सभा का निर्धारित कार्य चलना चाहये (**व्यवधान**) ।

श्री भागेन्द्र झा : मेरे स्थगन प्रस्ताव के बारे में क्या विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि इस विषय पर कई बार चर्चा की जा चुकी है ।

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : Sir, it is not correct to say that this matter has already been discussed. During the debate on Essential Commodities Bill, we discussed the legal aspects and not economic aspects of this matter.

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : महोदया इस बारे में सरकार आपकी कोई सहायता नहीं कर रही है । मंत्री महोदय भी उपस्थित नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The matter of price rise is very serious and the House should be given an apportunity to discuss this matter.

Mr. Speaker : According to the rules, the matter which has already been discussed in the House recently, cannot be permitted to be discussed. It is a continuing matter. The rules have been laid down by the House and the Hon. Member should follow them.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : चीनी का मूल्य 6.25 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया है । यह स्थिति नई है ।

Mr. Speaker : You can ask for a statement from the Minister in this regard.

श्री सेझियान : ठीक है, सरकार को इस बारे में एक वक्तव्य ही देने दीजिये । जिससे सभा में इस बारे में विचार-विमर्श किया जा सके ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : विपक्ष की ओर से गत तीन दिनों से प्रस्तावों या विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में अनेक बाते उठाई जा रही हैं । उसके कारण सभा के सरकारी कार्य, अर्थात जनता के कार्य के निपटाने के लिए समय नहीं मिलता ।

यह भी सच है कि विपक्ष को महत्वपूर्ण समस्यायें उठाने का पूरा-पूरा अवसर दिया जा चुका है। अब मेरे विचार से आपको इस बात का निर्णय करना चाहिये कि विपक्ष जो बातें उठाना चाहता है क्या वे महत्वपुर्ण हैं तथा जनता के हितों के अनुरूप हैं। मैं समझता हूं कि विपक्षी दलों के सदस्य व्यर्थ में सभा की कार्यवाही को आगे चलने से रोक रहे हैं, जिससे अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार विमर्श नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको कोई निर्णय देना चाहिये है तथा उसका पालन समस्त सभा द्वारा किया जाना चाहिये। मैं कांग्रेस दल के सदस्यों से भी अनुरोध करता हूं कि उन्हें इस प्रकार चुपचाप नहीं बैठना चाहिये तथा सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी देख रहा हूं कि कुछ दिन से मत-भेदों को दूर करने की बजाय सभा के कार्य में बाधा डाली जा रही है...

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह सब सरकार की हठधर्मी के कारण है।

श्री सी० एन० स्टीफन : हमें इसका अधिकार है।... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से वक्तव्य देने के लिये कह सकता हूं। किन्तु जब मैं एक बार कह चुका हूं कि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता तो बार-बार दबाव नहीं डाला जाना चाहिये। मैं सरकार से वक्तव्य देने के लिये कहूंगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब मैं विशेषाधिकार के प्रश्नों को ले रहा हूं।

श्री समर गुह : अगले कार्य को आरम्भ करने से पूर्व मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिए कह दिया है।

एच० एन० मुकर्जी : वक्तव्य पर चर्चा किये जाने का अवसर भी मिलना चाहिये। हम चाहते हैं कि वक्तव्य भी दिया जाये तथा उस पर दो घंटे की चर्चा हो (व्यवधान)

श्री कार्तिक उरांव (लोहरजमा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है पिछले दो दिनों से प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सभा की कार्यवाही में बाधा डाली जा रही है। इस सम्बन्ध में नियम 374 के अन्तर्गत अध्यक्ष किसी भी सदस्य को अवज्ञा का दोषी ठहरा सकता है। अतः, जो सदस्य सभा की कार्यवाही में बाधा डालते हैं आपको उन्हें फटकारना चाहिये। आप महत्वपूर्ण मामलों पर सभा में चर्चा सुनिश्चित न करके सभा के साथ अन्याय कर रहे हैं मेरा अनुरोध है कि यदि कोई सदस्य, चाहे वह इस ओर से हो या उस ओर से, सभा की कार्यवाही में बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री समर गुह : मैं आपका ध्यान नियम 58 की ओर दिलाना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही को इस प्रकार रोकने से क्या लाभ होगा ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : सभा में जो समस्यायें उत्पन्न हुई हैं आप कृपया उनका समाधान करें ।

अध्यक्ष महोदय : हमें सभा की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक समस्याओं को मित्रता-पूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिये :

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं नियम 58 के संदर्भ में यह निवेदन करना चाहता हूकि इस सत्र में मूल्य वृद्धि पर चर्चा नहीं हुई । आवश्यक वस्तु विधेयक पर चर्चा अवश्य हुई थी । परसों भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में बहुत अधिक मुद्रास्फीति का उल्लेख किया गया है । अत: यह मामला नया है । मूल्य वृद्धि के अंक 272 हो गये हैं । हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर जनता को इस असाधारण मूल्य वृद्धि के बारे में क्या उत्तर देंगे ? अत: इस पर चर्चा होनी चाहिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : महोदय ! मूल्य वृद्धि के बारे में नियम 193 या नियम 189 के अन्तर्गत चर्चा की अवश्य अनुमति दी जानी चाहिये ।

Mr. Speaker : It means that on every item I should give a ruling and bow to their wishes. How can we proceed like this ?

विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में
RE : QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, according to the statement of Shri Gokhle, these matters can be investigated by the Court. It clearly shows that Shri Gokhle had nothing to say on the privilege motion of Shri Piloo Mody. He only wanted to present the debate on the motion regarding Parliamentary Probe. According to the Hon. Minister, the persons who have committed the offence, are all Members of this House. If is a serious allegation (*Interruptions*). In these circumstances, these matters should be inquired into by a committee of this House, as suggested by the Hon. Deputy Speaker. (*Interruptions*) Rs. 30 lakhs have been accepted by 'Nakad Narayan'.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैंने सभा में जो कहा था उसकी लिखित प्रति आज प्राप्त हुई जिसमें कुछ त्रुटियां हैं । मैंने यह नहीं कहा था कि जिन्होंने अपराध किये हैं वे सभी इस सभा के संसद सदस्य हैं । मैंने कहा था कि वे सभी इस सभा के सदस्य नहीं होंगी, बाहर के व्यक्ति भी होंगे । मैंने यह भी नहीं कहा था कि सभा में इस मामले पर चर्चा नहीं हों सकती । मैंने कहा था कि सभा में इस पर चर्चा हो सकती है । मैंने यह विचार व्यक्त किया था कि तथ्यों का पता लगाने के पश्चात् सभा में इस पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु ! यह उसी के बारे में है जिसके बारे में श्री मधुलिमिय ने नोटिस दिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : जी नहीं। श्री सेझियान ने यह पूछा था कि सी० बी० आई० द्वारा प्रारम्भिक जांच किये जाने का कब आदेश दिया गया था, तथा यह मामला कब दर्ज किया गया था। श्री गोखले ने इसके उत्तर में कहा था कि यह मामला गत दो दिनों में दर्ज किया गया था। यह 3 सितम्बर 1974 की डिबेट है। किन्तु हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार यह मामला 2 सितम्बर को दर्ज किया गया था। इससे विदित होता है कि यह जानबूझकर किया गया तथा सरकार को बचाने के लिए किया गया। यह बहुत गम्भीर मामला है। अतः इस बारे में वह खेद व्यक्त करें अथवा इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : यदि इस विषय पर चर्चा आरम्भ हो गई है तो सब को अवसर मिलना चाहिये। इस समय हस्ताक्षरों के बारे में ही एक भिन्न ढंग से चर्चा हो रही है।

अब मूल प्रश्न यह है कि जब तक सदन का नेता तथा अध्यक्ष पहले मामले के प्रत्यक्ष स्वरूप से संतुष्ठ न हो जायें, तब तक यह मामला संसदीय समिति को भेजने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। आज संसद सदस्यों ने नाम पर कीचड़ उछाला जा रहा है, उन पर अनेक प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं। यदि इस विषय से संम्बद्ध प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी जा रही है तो हमें उसके लिए सूचना तथा समय दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री मधुलिमिये के साथ निपट चुका हूं। अभी मैंने श्री गोखले को बोलने का अवसर दिया है। श्री मधु लिमिये का प्रस्ताव नियमों के अनुरूप है या नहीं इसके बारे में मैंने अभी कोई निर्णय नहीं दिया है। श्री मिश्रजी, आप आपनी बात एक आध मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : हमारे समक्ष मुख्य प्रश्न यह है कि क्या विधि मंत्री द्वारा विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? विधि मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से यह बात स्पष्ट हुई है कि सदस्यों ने अपने दस्तावेजों को मानने से इन्कार कर दिया है। उनका यह भी कहना है कि यह हस्ताक्षर संसद सदस्यों के है भी या बाहर के लोगों के हैं। इस वक्तव्य का अर्थ यह है कि जिन संसद सदस्यों पर यह आरोप लगाया जा रहा है, उन्हें इस आरोप से ही मुक्त किया जा रहा है। अतः इस प्रकार वक्तव्य से एक नया भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है कि वह हस्ताक्षर संसद सदस्यों के नहीं हैं।

मेरी दूसरी बात यह है कि अपने वक्तव्य में न्यायालय आदि की बात को लाकर, विधि मंत्री नें संसदीय समिति के गठन के कार्य में अवांछनीय रोड़ा अटकाने का प्रयत्न किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह मत भूलिये कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न उनके वक्तव्य के बारे में है। यह समिति के गठन सम्बन्धी चर्चा की बात नहीं है। मंत्री द्वारा वक्तव्य की संशोधित प्रति प्राप्त होने पर ही इस विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न पर चर्चा की जायेगी।

Shri Atal Bihar Vajpayee (Gwalior) : Today morning you referred to a report published in the 'Hindustan Times' and had said that your name too has been dragged in it. Whatever you have stated, that makes one thing clear that your permission was not sought while registering the case. You were not consulted.

Mr. Speaker : By now so many things have come up. We will take up that issue on some other occasion.

श्री एच० आर० गोखले : मैंने केवल यही कहा था कि गत दो दिनों में ही मामला दर्ज हुआ है। यह वक्तव्य किसी भी प्रकार गलत नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हमें इसकी ठीक तिथि बताइये।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सदन को केवल जानकारी दी है यह भला विशेषाधिकार का मामला कैसे हो सकता है ?

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के तेरह विवरण सभा पटल पर रखता हूं :

चौथी लोक सभा

(एक)	विवरण संख्या 36	सातवां सत्र,	1969
(दो)	विवरण संख्या 36	आठवां सत्र,	1969
(तीन)	विवरण संख्या 29	बारहवां सत्र	1969

पांचवी लोग सभा

(चार)	विवरण संख्या 31	दूसरा सत्र,	1971
(पांच)	विवरण संख्या 22	चौथा सत्र,	1972
(छः)	विवरण संख्या 16	पांचवा सत्र,	1972
(सात)	विवरण संख्या 14	छठा सत्र,	1972
(आठ)	विवरण संख्या 15	सातवां सत्र,	1973
(नौ)	विवरण संख्या 9	आठवां सत्र,	1973
(दस)	विवरण संख्या 7	नौवां सत्र,	1973
(ग्यारह)	विवरण संख्या 6	दसवाँ सत्र,	1974
(बारह)	विवरण संख्या 7	दसवां सत्र,	1974
(तेरह)	विवरण संख्या 1	ग्यारहवां सत्र,	1974

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्राद्योगिकी संस्थान, अधिनियम, 1961 की धाराओं 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1971–72 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[अन्यात्य में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8383/74]

Shri Samar Guha (Contai) : I gave notice of a Privilege Motion.

Mr. Speaker : There is none with me. I have enquired from the Table. I am not allowing. Secretary General.

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : श्रीमान जी, मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

"कि मुझे लोक सभा को यह सूचना देनें का निदेश हुआ है कि राज्यसभा ने मंगलवार, 3 सितम्बर, 1974 की अपनी बैठक में विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक 1973 सम्बन्धी निम्न प्रस्ताव स्वीकार किया है :–

"कि यह सदन लोक सभा से सिफारिश करता है कि वह विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 1973 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति की सदस्यता से श्रीमती पार्वती कृष्णन द्वारा त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुए स्थान पर उक्त संयुक्त समिति में लोकसभा का एक सदस्य निमुक्त करें ।"

2. मैं उक्त प्रस्ताव के लिए लोक सभा को अपनी स्वीकृति देने का निवेदन करता हूं और साथ ही निवेदन करता हूं कि दोनों सभाओं की संयुक्त समिति की सदस्याता की नियुक्ति क लिए नाम इस सदन को बताया जाये ।"

(ख) राज्य सभा के सक्रिय तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 111 के अन्तगत मुझे **एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) संशोभन विधेयक 1974** जो कि राज्य सभा द्वारा उसकी 3 सितम्बर, 1974 की बैठक में पारित किया गया है, की एक प्रति संलग्न करने का निदेश भी हुआ है ।

(एस्सो भारत में उपक्रमों के अर्जन संशोधन विधेयक)

Esso (Acquisition of Undertakings in India) Amendment Bill-Land

2. श्रीमान जी, मैं राज्य सभा द्वारा 3 सितम्बर, 1974 की बैठक में एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) संशोधन विधेयक, 1974 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

नियम समिति

RULES COMMITTEE

कार्यवाही सारांश

Minutes—Laid

श्री सेझियान (कुम्बकोणम्) : मैं नियम समिति की 30 अगस्त, 1974 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

30वां प्रतिवेदन

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : मैं हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण और नियुक्ति के बारे में भारी उद्योग मंत्रालय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का 30वां प्रतिवेदन प्रस्तुतत करता हूं ।

दिल्ली रेलवे सटेशन पर तेंदुए तथा चीते की खालों के पकड़े जाने के बारे में दिनांक 26 अगस्त, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 433 क बारे म व्यकतव्य

Statement Re. S. Q. No. 493 dated 26-8-74 about seizure of Leopard and Tigers' Skins at Delhi Railway Station

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसे सभा पटल पर रख दें ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :

[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8380/74**]

मंत्री-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

Re: MOTION OF NO CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : श्री मधुलिमिये का प्रस्ताव इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि इस सत्र में हम पहले ही मंत्री परिषद में अविश्वास के एक प्रस्ताव पर चर्चा कर चुके हैं ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I will not speak on its merits but about its admissibility. It has been said that this motion cannot be accepted under rule 338. In rule 338, it has been stated that a motion shall not raise a question substantially identical with one on which the House has given a decision in the same session. In this connection I would also like to quote 'Parliamentary Practice' in which it has been stated that the ingenuity with which motions have been framed has sometimes succeeded in withdrawing them from the

operation of this rule. So now it is upto the Speaker to decide whether ingenuity is there in my motion or not ? Whatever be the decision of the speaker, I will abide by the same. But I must submit this much that whatever I have stated is based on the ingenuity as explained in "Parliamentary Practice."

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह कहना उचित नहीं है कि यह प्रस्ताव नियम 338 के अन्तर्गत नहीं उठाया जा सकता । नियम यह भी तो नहीं कहता कि अविश्वास प्रस्ताव दोबारा पेश नहीं किया जा सकता । उसमें तो केवल इतना ही उल्लेख किया गया है कि पहले प्रस्ताव में उठाये गये प्रश्न को दोबारा नहीं उठाया जा सकता यदि यह बात स्पष्ट हो जाए कि अविश्वास प्रस्ताव दोबारा उठाया जा सकता है तो फिर समस्या केवल इतनी ही रह जायेगी है कि पहले प्रस्ताव का विषय, दूसरे प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता ।

इसके साथ ही इसी नियम के अन्तर्गत एक अन्य शर्त यह आती है कि "वह पूर्णतया समान नहीं होना चाहिये" । अत: पूर्णतया समान होने की दशा में भी वह असमान्य हो सकता है । परन्तु ऐसा भी स्पष्ट रूप से कहीं नहीं कहा गया है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : You please just think over it and then give your decision.

श्री एस० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : श्रीमान जी, यह दो नियमों के अन्तर्गत आता है । इसकी ग्राह्यता नियम 358 और नियम 186(6) के अन्तर्गत की जानी चाहिये । परन्तु फिर भी प्रश्न यह है कि जो विषय ए क बार सभा के समक्ष रखा जा चुका है क्या उसे फिर से सामने लाया जा सकता है ?

प्रश्न तो यह है कि क्या सभा को मंत्रि परिषद पर विश्वास है अथवा नहीं । यह प्रश्न सभा के सामने रखा गया था और सभा ने अपना निर्णय दे दिया था ।

यदि अब दूसरा अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो यह किसी अन्य आधार पर नहीं होगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का विषय सीमित नहीं होता है । इसलिए प्रश्न यह है कि जो विषय एक बार सभा के समक्ष रखा जा चुका है क्या इसे फिर उसके सामने रखा जाए । यह नियम 338 और 188 (चार) के अन्तर्गत सम्भव नहीं है । अत: यह अविश्वास प्रस्ताव सर्वथा नियम विरुद्ध है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यदि किसी वाटरगेट जैसे घोटाले का पता लग जाये तो क्या सरकार को सत्ता में बने रहने दिया जा सकता है ? इस प्रस्ताव के लिए हर दशा में अनुमति मिलनी चाहिये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में स्पष्ट नियम है । मैं पहले अविश्वास प्रस्तवा के विषय को देख चुका हूं । इसलिये इस प्रस्ताव के लिये अनुमति नहीं दी जा सकती । मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि एक सत्र में दूसरा प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता ।

श्री श्यामनंदन मिश्र : आपने मेरे किसी भी प्रश्न पर प्रकाश नहीं डाला।

अध्यक्ष महोदय: यह बात स्पष्ट है कि एक सत्र में एक ही प्रस्ताव एक से अधिक बार नहीं आ सका सकता। अत: मैं इस की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : We do not want to dispute your ruling. I have another motion for which notice has already been given under rule 184, 338 and 198.

अध्यक्ष महोदय: अब जबकि इस पर निर्णय लिया जा चुका है आप इस नियम के अर्न्तगत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकते। यदि आप चाहते तो इसे पहले प्रस्तुत कर सकते थे।

Shri Madhu Limaye : I am not challenging your ruling. I would like to draw your attention towards a similar case where motion to suspend the Rule 338 was moved in 1969 by Shri Raghuramaiah, with a view to immediately re-open a motion which had already been adopted by the House. It was admitted by the then Speaker and it was put to vote. Since my motion has been debarred under Rule 338, there is no alternative left to me but to seek the suspension of Rule 338 in its application to my motion. There are several precedents in this regard and no discrimination should be made between my motion and that of Shri Raghuramaiah which he moved in 1969.

अध्यक्ष महादय : मैं इन्हें नियम 338 के अर्न्तगत प्रस्ताव लाने से इन्कार नहीं कर सकता। मैं इनके प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 338 को, जहां तक यह नियम 198 के अधीन श्री मधु लिमये के अविश्वास प्रस्ताव पर, (जिस की सूचना उनके द्वारा 4 सितम्बर, 1974 को दी गयी थी) लागू होता है, निलम्बित करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकार हुआ

The motion was negatived.

संविधन (36वां संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (THIRTY-SIXTH AMENDMENT) BILL

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत और सिक्किम के बीच सहयोग और परस्पर सम्बन्धों को मजबूत करने की सिक्किम की जनता की इच्छा पूरी करने के लिए भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक द्वारा संविधान के अनुच्छेद 2 के पश्चात, एक नया अनु.च्छेद 2-क जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है जिसका उद्देश्य विधेयक में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सिक्किम को भारत संघ के साथ सम्बन्द्ध करने की व्यवस्था करना है।

मन्त्री-परिषद में अविश्वास प्रस्ताव

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

कुछ माननीय सदस्य : हम उस प्रस्ताव पर मत-विभाजन चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्यों को इससे संतोष होता है तो इसे सभा में मत-विभाजन के लिये रखा जाता है ।

प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 338 को, जहां तक यह नियम 198 के अधीन श्री मधु लिमये के अविश्वास प्रस्ताव पर (जिसकी सूचना उनके द्वारा 4 सितम्बर, 1974 को दी गई थी) लागू होता है निलम्बित करती है "

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 35 **विपक्ष में** 206

Ayes 35 Noes 206

प्रस्ताव अस्विकृत हुआ ।

The motion was negatived.

संविधान 36 वाँ संशोधन विधेयक

CONSTITUTION (THIRTY-SIXTH AMENDMENT) BILL

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): बहुत पहले, अप्रैल, 1950 में सिक्किम के राजनीतिक नेताओं ने यह आशय प्रकट की थी कि एक ज़िम्मेदार सरकार की स्थापना होगी जिसके अर्न्तगत सिक्किम की जनता की इच्छाओं के अनुरूप एक संविधान होगा जो भारत के साथ सिक्किम का घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करेगा । दुर्भाग्यवश सिक्किम की जनता की यह इच्छा गत दो दशकों में पूरी नहीं हुई ।

सन् 1973 के अप्रैल मास की घटनाएं अलोकतांत्रिक राज्य के विरुद्ध थी और सिक्किम में हुए चुनावों के बाद भी ज़िम्मेदार सरकार न बन पाने के परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था सर्वथा समाप्त हो गई । ऐसी स्थिति में सिक्किम की सरकार और जनता दोनों ने कानून और व्यवस्था की स्थापना के लिए भारत सरकार की ओर सहायता के लिए देखा । भारत सरकार ने चोग्याल और सिक्किम की जनता के सम्बन्धों को देखते हुए, यह बेहतर समाझा कि जनता की इच्छा का आदर किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय पिठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

सिक्किम के चोग्याल, राजनैतिक दलों के नेताओं और भारत सरकार के बीच 8 मई को एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसके अन्तर्गत एक व्यक्ति के एक वोट के आधार पर सिक्किम में पहली बार चुनाव होने थे। अप्रैल, 1974 में सिक्किम में चुनाव हुए फिर 10 मई को पहली बार सिक्किम विधान सभा की बैठक हुई। 11 मई को विधान सभा ने एक मत से भारत और सिक्किम के सम्बन्धों को दृढ़ करने के निश्चय के प्रस्ताव को स्वीकृत किया।

20 जून, 1974 को एक विधेयक, जिसका नाम सिक्किम सरकार अधिनियम, 1974 रखा गया, पास किया गया। दूसरे दिन विधान सभा ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रस्ताव भी स्वीकार किया कि सिक्किम की जनता को भारत की संसदीय प्रणाली में प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए उपाय किये जाएं।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए विशेष रूप से यह बताना चाहता हूं कि सिक्किम में एक व्यक्ति एक मत के सिद्धान्त पर निष्पक्ष रूप से हुए चुनाव के आधार पर जो विधान सभा चुनी गई थी उसने 1974 के सिक्किम अधिनियम को सर्वसम्मति से पास किया है। इस अधिनियम के माध्यम से ही सिक्किम के लोगों ने अपनी सरकार के संवैधानिक ढांचे तथा भारत-सिक्किम सम्बन्धों तथा हमारी सरकार की जिम्मेदारी की व्याख्या की है।

इस अधिनियम में सिक्किम ने भारत से सम्बन्ध जोड़ने की इच्छा व्यक्त की है ताकि वहां का सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में तेजी से विकास हो सके। अधिनियम के खण्ड 30(ग) में सिक्किम के लोगों के लिए भारत की राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व की मांग की गई है।

सिक्किम मंत्रीमण्डल के बनने के पश्चात, वहां के मुख्य मंत्री ने अधिनियम के खंड 30(ग) को प्रभावी बनाने के लिए दो बार भारत सरकार से अनुरोध किया है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सिक्किम के साथ अपने सम्बधों को हम बहुत अधिक महत्व देते हैं। इस बारे में हमने विधि मंत्रालय तथा महान्यायवादी से भी परामर्श किया है। इसी परामर्श के परिणाम स्वरूप यह विधेयक सभा के समक्ष रखा गया है। इस संशोधन का तात्पर्य नई स्थिति का मुकाबला करना है और साथ-साथ सिक्किम के पृथक स्वरूप को भी बनाये रखना है। हम सिक्किम के शासक, संविधान, तथा इस के भारत के साथ सम्बन्धों का निरन्तर सम्मान करते रहेंगे।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि सिक्किम की रक्षा, विदेश कार्य तथा अन्य अनेक मामलों की जिम्मेदारी भारत पर है। अतः भारत के उच्चतम निकाय, अर्थात, भारत की संसद में प्रतिनिधित्व पाने की अभी इच्छा स्वभाविक ही है। इस मामले में गत चार व पांच दिन में विरोधी दलों के नेताओं से बातचीत की जा चुकी है। हमने उनके दो सुझावों को स्वीकार किया है। पहला सुझाव यह है कि लोक सभा में जो सिक्किम का प्रतिनिधि आये वह सीधे चुनाव द्वारा चुना गया व्यक्ति होना चाहिए। दूसरे, उसका चुनाव भारत के संविधान में दी गई अर्हताओं के आधार पर होना चाहिए।

इनको प्रभावी बनाने के लिए मैं उचित समय पर संशोधन पेश करूंगा। इन शब्दों के साथ में अपना प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं ने प्रस्ताव किया है कि सदन को किसी भी हालत में 6 बजे के बाद नहीं बैठना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : यह संविधान (संशोधन) विधेयक है जिसके लिए एक निश्चत बहुमत की आवश्यकता होती है। इस सदन की यह प्रथा रही है कि ऐसे विधेयक उसी दिन पास कर दिये जाते हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा आज संविधान (36वां संशोधन) विधेयक के पास होने तक बैठी रहेगी।"

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि अध्यक्ष महोदय ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी अथवा नहीं, परन्तु मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। सभा कब तक बैठे, इस का निश्चय करना अध्यक्ष का ही अधिकार होता है। अतः बेहतर यही होगा कि इस प्रस्ताव को अध्यक्ष के समक्ष रखा जाये। मुझे आशा है कि वह इस पर तैयार हो जायेंगे।

श्री के० रघुरामैया : मैं ने इसे अध्यक्ष महोदय के विचारर्थ रखा था। आप इसका पता कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आज संविधान (36वां संशोधन) विधेयक के पास होने तक बठी रहेगी।'

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

The motion was adopted

श्री के० रघुरामैया : मेरा प्रस्ताव है कि प्रस्ताव को विचार करने के लिए 5 बजे लिया जाये और बाद खण्ड बार चर्चा की जाये। मंत्री महोदय को 5 बजे बुलाया जाये और उसके तुरन्त पश्चात मतदान आरम्भ हो।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : यह महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरा सुझाव है कि इस पर चर्चा के लए 6 घन्टे का समय अववश्य दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह निर्णय हुआ है कि विधेयक के पास होने तक बैठक चलती रहेगी। समय के आबंटन के बारे में अध्यक्ष महोदय से बातचीत की जा सकती है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : माननीय मंत्री अब चाहते है कि इस विधेयक पर चर्चा एक निश्चित समय तक समाप्त हो जाए। वह हमें इस प्रकार बाध्य नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा सुझाव आया है कि चर्चा के लिए 6 घंटे का समय रखा जाये। मेरे विचार में चर्चा के लिए पांच घंटे का समय ठीक रहेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय ने मुझे मंत्री द्वारा विधेयक के विचार के लिए प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् बोलने की अनुमति दी थी।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने व्यवस्था का प्रश्न प्रस्ताव होने से पहले से उठाया होता तो बेहतर था। प्रक्रिया भी यही है –फिर भी आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमने विधेयक की पुनः स्थापना की अवस्था में ही संवैधानिक दृष्टी कोण मे विरोध किया है। अब एक गम्भीर बात सामने आई है। यह विधेयक आपके सिक्किम अधिनियम पर आधारित है। मेरे पास दस्तावेज है जिसमें यह सिद्ध होता है कि सिक्किम अधिनियम जोकि मुद्रित रूप में हमारे समक्ष है उसमे सिक्किम सभा की कार्यवाही को पूरी तरह नहीं दिखाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका आरोप यह है कि सिक्किम की यह मुद्रित प्रति ठीक प्रति नहीं है, इससे चर्चा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : यह विधेयक उक्त सिक्किम अधिनियम पर आधारित है। यदि यह उक्त अधिनियम सिक्किम बिधानसभा द्वारा पास किया गये अधिनियम से भिन्न है तो सारी तस्वीर ही बदल जाती है हम माननीय मंत्री से जानना चाहते है कि क्या श्री बसु, का आरोप ठीक है अथवा नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि इसमें चर्चा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

श्री ज्यातिर्मय बसु : मुझे अपनी प्रति सभापटल पर रखने की अनुमति दी जावे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दे सकते है।

श्री पी० जी० मावलंकर: मेरा निवेदन यह है कि जब हमने आपत्ति उठाई थी तो विदेश मंत्री ने कहा था कि इन सभी मामलों पर विधेयक पर विचार करते समय ही विचार किया जायेगा माननीय मंत्री इस बात पर एक तरह से सहमत हो गये थे कि इस में एक नया पहलू है, यदि माननीय मंत्री इसकी व्याख्या करदें तो हम आगे चर्चा कर सकते है।

उपाध्यक्ष महोदय : मै किसी की बात नहीं सुन रहा हूं। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या हम उस दस्तावेज के आधार पर जा सकें जो उनके विचार में वास्तविक नहीं है, चर्चा कर सकते है। इस बात का फैसला मै कैसे कर सकता हूं कि यह वास्तविक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय सदन कर सकता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इसका निणय अध्यक्षपीठ द्वारा किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका निणय मै किस प्रकार कर सकता हूं ? यदि सरकार की ओर से इस पर कोई टिप्पणी की जाती है तो मै उसको सुनने को तैयार हूं।

श्री स्वर्ण सिंह : चर्चा कुछ भी हुई हो जो महत्वपूर्ण चीज है वह अधिनियम ही है। सिक्कम अधिनियम वहां के गजेट मे प्रकाशित हुआ है और उसकी प्रति ग्रंथालय में रखी गई है। हम इसी के आधार पर यहां आगे कर्यबाही कर रहें है। मै माननीय सदस्यों से अपील

करूंगा कि वे अधिनियम के सार को ध्यान में रखेंगें और उन्हीं को लेकर यहां चर्चा करें।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : माननीय सदस्य इस बात पर जोर दे रहें है कि जो अधिनियम यहां पर परिचालित किया गया है वह अधिनियम वह नहीं है जो कि विधान सभा में पास किया गया !

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप का कहना यह है कि परिचालित अधिनियम वह नहीं है जो वहां पास किया गया है तो यह एक चर्चा का विषय है।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : श्री बसु ने जो आप को दिया है वह वहाँ के दरबार का गजट है, वह भारत सरकार का प्रकाशन नहीं है। हमें इसी पर आगे विचार करना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच नहीं है कि भारतीय सिविल सेवा का एक व्यक्ति वहां से समूचे कार्य की देखभाल करता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका यहां पर कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री समर मुखर्जी : प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में भी हमने इस विधेयक पर आपति की थी। हम इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिए समय चाहते हैं सरकार ने इन्हें हमारे साथ उस समय विचार किया जबकि उन्होंने इसे अन्तिम स्वरूप दे दिया था। विरोधी दलों से परामर्श करने से पूर्व ही सरकर ने विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया था हमारा दल इस विधेयक का पूर्णतया विरोध करता है सरकार की ओर से यह कहा गया कि सिक्किम के लोगों की इच्छा की पूर्ती के लिए ही संविधान में यह संशोधन किया जा रहा है। सिक्किम के पृथक रूप को अब तक बनाये रखा गया है। अब उसमें पूरी तरह परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य सिक्किम को पूर्णतया भारत में विलय करना है। इसकी गम्भीर राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय जटिलता है। इसमें भारत और सिक्किम के लोगों के बीच और कटुता उत्पन्न हो जाएगी इस विधेयक के माध्यम से भारत सरकार ने सिक्किम के साथ किए गये सभी करारों को स्थिर बनाने का प्रयास किया है। इन करारों के माध्यम से भारत सरकार सिक्किम की रक्षा विदेश कार्य संचार की जिम्मेदारी निभाती है। अब वहां की आन्तरिक विधि व्यवस्था तथा उचित प्रशासन बनाये रखने का कार्य भी भारत के हाथ में होगा। इसका अर्थ सिक्किम को कालोनी का रुतबा देने के समान ही है। अतः वहां पर कोई स्वतन्त्रता नहीं हैं।

सिक्किम को जनता की यह अकांक्षा नहीं है। वे तो परम्परागत शासक से मुक्ति चाहते हैं परन्तु भारत सरकार के हस्ताक्षेप से वर्तमान व्यवस्था बनी रहेगी। यह ठीक है कि चोग्याल की शक्ति कम कर दी गई, है परन्तु प्रशासन जनता को देने के बजाय उसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक को दे दिया गया है। अर्थात अब जनता के स्थान पर सिक्किम पर भारत सरकार का शासन चलेगा (व्यवधान) : 'नहीं', 'नहीं' चिल्लाने से क्या होगा उसके संविधान में यही व्यवस्था की गई है।

श्री स्वर्ण सिंह : हम इस समय संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रहे हैं न कि सिक्किम के संविधान पर यह तो वहां की जनता पर निर्भर करता है कि वह चोग्याल को बनाये रखना चाहते हैं या अपने कौन से अधिकार हमारे साथ बांटना चाहते हैं।

श्री समर मुर्खजी : मेरा कहना यह नहीं है कि सिक्किम संविधान हमारा ही तैयार किया हुआ है यह लोकतन्त्र नहीं है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी विधान सभा का पदेन अध्यक्ष होगा।

श्री बी० के० दास चौधरी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न ह । प्रस्तुत विधेयक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कोई उल्लेख नहीं है । क्या यह चर्चा विचाराधीन विषय से बाहर की तो नहीं हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि यह उपबंध हमने उनके लिए किए हैं या वहां की जनता ने स्वंय अपने लिए ये उपबंध रखे हैं अपनी इच्छानसार उन्होंने कुछ बातों को स्वीकार किया है इसमें हम कहां आते हैं ?

श्री समर मुखर्जी : मैं तो इन उपबंधों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रभावों की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि अब इसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया है । सिक्किम की जनता तो स्वतन्त्रता और स्वविकास चाहती थी और चोग्याल से मुक्ति भी चाहती थी न कि भारत सरकार का अधिपत्य ? जनता की भावनाओं की उपेक्षा की गई है और हमें सरकार के इरादों पर संदेह है और हमारे विचार में इस विधयक से भारत और सिक्किम के संबंधों में कोई सुधार नहीं होगा ।

अतः हम मांग करते हैं कि सिक्किम को अपने मामले स्वंय निपटाने का अधिकार दिया जाए, चोग्याल की सता समाप्त की जाए और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद भी तुरन्त समाप्त कर दिया जाए और सिक्किम को अपने अर्थिक मामले स्वंय निपटाने में हमारी ओर से कोई हस्तक्षेप न किया जाए इन्हीं कारणों से मै इस विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूं ।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं भारतीय संसद में सिक्किम को प्रतिनिधित्व देकर सरकार ने नया और साहसपूर्ण कदम उठाया है और आशा है कि इस से दोनों देशों के संबंधों का नया अध्याय अरम्भ होगा । सिक्किम के इस नए दर्जे से मित्रता और सहकारिता बढ़ेगी । आशा है कि यह नई व्यवस्था सिक्किम की जनता की अकांक्षाओं पर पूरी उतरेगी और वह यदि चाहे तो और अधिकार भी प्राप्त कर सकती हूं ।

वर्तमान विधेयक का आशय यहां सिक्किम के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है क्योंकि वे भारत के समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में शामिल होना चाहते हैं । अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : आश्चर्य की बात है कि भारतीय संसद में सिक्किम के प्रतिनिधियों संबंधी मांग का समाचार मिलते ही देश के एकाधिकारी प्रैस में इसका विरोध किया गया और देश में भ्रम फैलाया गया यह बात खेदजनक है ।

यह ठीक है कि यह एक नया कदम है परन्तु हम इसका स्वागत करते हैं ।

1947 में ही सिक्किम की जनता ने स्वतन्त्रता की मांग की थी और वे भारत में विलय चाहते थे । वर्तमान चोग्याल के पिता के अनुरोध पर भारतीय सेना वहां भेजी गई और उसके कहने पर वहां की जनता का दमन बहुत ही दुखपूर्ण और निन्दनीय घटना है । अब भारत सरकार ने जो कुछ भी किया है वह या तो चोग्याल के अनुरोध पर किया है या वहां की जनता के अनुरोध पर । सिक्किम में अभी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापित नहीं हुआ है । ऐसा होने पर चोग्याल का शासन वहां नहीं रहेगा । जनमत संग्रह के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां हुए चुनावों में चोग्याल की नेशनल पार्टी को केवल एक स्थान और शेष सभी 29 स्थान कांग्रेस को प्राप्त हुए थे जो भारत क साथ अधिक घनिष्ठ संबंधों का समर्थक है ।

सिक्किम सरकार के अनुरोध के उत्तर म नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा :–

".....ये घटनायें कतिपय करारों के फलस्वरूप हुई हैं.....जोकि सिक्किम में हाल ही में हुई घटनाओं के साथ स्वाभाविक रूप से संबंधित बताई जाती हैं।"

यह उनका सरकारी रूप में उत्तर है।

सिक्किम के महाराजा की शादी अमरीकी गुप्तचर संस्था (सी० आई० ए०) की एक लड़की से की गई थी क्योंकि इस माध्यम से अमरीका की योजना चीन तथा भारत के सिर पर एक अड्डा बनाने की थी। उस लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया और सिक्किम में लोक प्रिय आन्दोलन होने के बाद वह लड़की तो अमरीका लौट गई परन्तु वह बच्चा शायद वहीं सिक्किम में है। यह अमरीका का षड़यंत्र था। हमने यह भी देखा है कि किस प्रकार अमरीकी राष्ट्रपति श्री फोर्ड ने हिन्द महासागर में दियेगो गार्शिया में अड्डा बनाने की घोषणा की है। इस संदर्भ में जबकि सिक्किम के महाराजा ने वहाँ की सरकार की इच्छाओं के विरूद्ध कार्यवाही की है तथा कुछ माह पूर्व किये गये करार की अवहेलना की है तो अब सिक्किम के लोग चाहते हैं कि भारत सरकार अपने विधेयक के साथ आगे कार्यवाही करे।

परन्तु हमें इस मामले में अफ़सर शाही के प्रति आशंका है। सिक्किम के लोगों का इनसे सर्तक रहना है।

हमारे यहां संगठन कांग्रेस के नेता चोग्याल के लिये आंसू बहा रहें हैं। यही वे तत्व हैं जिन्होंने एक समय दलाईलामा की हिमामत की थी, एकाधिकार मुक्त प्रेस का समर्थन किया था तथा दलाई लामा को "भगवान" तथा "बादशाह" मानकर श्री जवाहर लाल नेहरू तथा उनकी सरकार की आलोचना की थी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात इस विधेयक से कैसे संबंधित है ?

श्री भोगेन्द्र झा : उन्होंने दलाईलामा को ही तिब्बत माना था और अब चोगयाल को सिक्किम मान रहे हैं, यह धारणा तो कभी की दफ़न हो चुकी है। अब तो दलाईलामा न तो भगवान है और न ही वह बादशाह है वह तो यहाँ एक शरणार्थी है और अब उसे कोई भगवान या बादशाह नहीं मानता है। इसी प्रकार चोग्याल भी बस सिक्किम का एक नागरिक मात्र है।

अन्त में मैं कहूंगा कि यह विधेयक अनेक कारणों से लोकतांत्रिक नहीं है। हमने कई संशोधन पेश किय हैं। सौभाग्य से विदेश मंत्री ने भी कई संशोधन पेश किये हैं जिनमें लोक सभा की सदस्यता के लिये सिक्किम के लोगों का मनोनीत होने के बजाय सीधा चुनाव भी शामिल है। हम कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां कम कर के वहां की विधान सभा को अधिक शक्तियां देना चाहते हैं। दूसरे भारतीय नौकरशाही स्वयं को सिक्किम के लोगों के खुदा न बने और इस प्रकार भारत-विरोधी भावना को बढ़ने से रोंके। हमें अन्तराष्ट्रीय विरोध से भी सावधान रहना है। परन्तु सिक्किम विधान सभा का संकल्प क संदर्भ हमारा यह कदम साम्राज्यवाद तथा सामन्तवाद विरोधी है, लोकतांत्रिक भी हैं परन्तु पूरी तरह लोकतांत्रक नहीं हैं।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : We welcome this historic Bill. In this context a question arises whether our step in this House is just in accordance with the wishes of the people of Sikkim and secondly, whether our Constitution permits us to do that. If we are competent under the constitution and

we are acting according to the wishes of the people of Sikkim, than there are further questions which arise. But in our country itself there are certain political parties which includes pro-choghyal and pro-Chou elements which would try to extract political gains. I apprehend that our two Hon. Members Shri Samar Mukherjee and Shri Shyamnandan Mishra would oppose this Bill. They are the representatives of Chou and Choghyal....(*Interruption*).

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : The debate would turn quite tense if such charges are levelled. He is calling us the representatives of Chogayal and Chou. If he does not have a healthy brain let him not speak at all. Let him not talk like an insane person.. we would not allow the debate to go on .. (*Interruptions*)

Shri Bhagwat Jha Azad : You see, he is threatening the majority of 350 in this House to stop the debate. How obsolete he is ? I am sure he would speak in support of Choghyal and brand this action of our as against the people of Sikkim. Whereas we are doing all this in the light of our treaty of 1950....(*Interruptions*).

This treaty provides that the Government of India, on the basis of the consultations of India and Sikkim would look after the matters connected with defence, communications etc. in Sikkim. Besides that the Government of India has the responsibility to ensure the internal good administration there. So, we have to see what has been going on with the people of Sikkim during these last 24 years. The resentment and dissentment of the people of Sikkim from all pockets of that country rose against the Choghyal. The Sikkimese people wanted representations in the administration and for that they sought the help of Indian Government which in turn honoured their wishes and worked for a general election in Sikkim and for the formulation and functioning of a Constitution for that country. Now there is a cabinet a Legislature Assembly and all that. And now they asked for representation in Indian Parliament and we accepted their requests. How all this is termed as imposing something on Sikkimese? But there are some people who perhaps played truant when the almighty was allotting wisdom and a proper brain to make proper calculations and assessment. I can provide them with facts and figures but not the ones which God only can allot.

Under this constitution Amendment Bill we are doing what the people of Sikkim want us to do. They wish that when India is looking after the defence, foreign affairs and overall administration then Sikkim should have their representative in the forum where such matters are finanlised. Thus they want their representatives in Lok Sabha and as such their demand is just and should be honoured. We are doing that.

But some of our friends have do quote certain articles of the Constitution regarding Oath etc. but they do not try to go into the real spirit thereof, and therefore they oppose the measure. Whereas it is very much desirable on our part to honour the wishes of the people of Sikkim and as such, we should make adjustments or amendments in our Constitution accordingly. When

Sikkimese wished to participate in their administrative affairs they held elections and sent their representatives in their Legislative Assembly. Similarly they should be accommodated in Lok Sabha as well as their Government and Assembly have desired. In this way they also want to see themselves and be a party also to, in deciding upon the affairs of Sikkim in particular, we should, therefore, welcome it whole heartedly. I pity those who oppose it.

The Choghyal has not realised the sentiments of his people. I support Shri Bhogendra when he says that the Choghyal should not be kept as a Constitutional head even. I wonder how Shri Samar Mukherjee is supporting the Choghyal who is getting support from China. What is the difference, then, between China and Shri Samar Mukherjee.

This amendment is a unique one, a historic one and we all welcome it. Otherwise the gap between the thinking of Choghyal and the people there would widen; confrontations would increase and the developments would come to a stand still. Therefore it is very necessary that the representatives of Sikkim should sit with us in both the Houses of Parliament in planning Commission etc, and contribute for economic development of Sikkim.

Finally I would submit that this beautiful State of beautiful hilly environments should be welcomed to join with our great Indian Republic. And we welcome it with open arms.

Shri Jagannatha Rao Joshi (Shajapur) : This amendment in fact is a step to bring Sikkim nearer than she was under the 1950 Treaty. But it involves two questions, one is why and the other is why not earlier. I want a categorical reply to these two questions. We would always welcome a measure to bring Sikkim closer, but I would like to point out that Jammu and Kashmir has been an integral part of India before, during and after the British Rule in India. Now may I know whether the deliberations between our Government and Sheikh Abdullah are arrived at pushing Jammu and Kashmir away or not? What is that going on ! Our demand is that that aspect should be cleared first because that matter is in first schedule. We, therefore, demand that Article 370 should be full abolished and Jammu and Kashmir embraced.

About Sikkim they started taking action because Sikkim Legislative Assembly requested, but have the Jammu and Kashmir Legislative Assembly asked you to hold talks with Sheikh Abdullah? If so, what was the resolution of Jammu and Kashmir Assembly. We doubt the very *bonafides* of this Government.

Jammu and Kashmir Assembly has not passed any such resulution. Therefore, I request to say that the irresponsible charges levelled on India that she is annexing Jammu and Kashmir and that we are indulging in imperialism are all due to our fault because we have allowed such a position even after British rule on us.

Then it is quite funny to level such charges of annexation, imperialism etc. on an impotent Government like ours. How can a Government can annex other's territories who cannot protect even its own territories? It is a travesty of truth.

I, therefore, agree with bringing nearer but certainly we have never basically thought all about that even after the British rule. This bringing nearer of Sikkim too is having so hideously done. You are doing it after 25 years. We have representative here from Dadra and Nagar Haveli. So you think that this territory has got a separate identity or has got any special status?

Why they have a separate constitution and special status for Jammu and Kashmir when it is an integral part of India? It is possible that Sheikh Abdullah may also demand the same status for Jammu and Kashmir just as you are allowing for Sikkim.

We demand that there should be our and only our Constitution for the entire country including Jammu and Kashmir we do not want any anomoly. Otherwise you would continue facing such charges of annexation and imperialism etc. Why don't you do away with the thinking that the accession of Jammu and Kashmir would be final when there will be refrendum ? Why should it be hanging fire till now ? This is all our mistake. Does Sardarji agree with me that we have lost a portion of our own territory? Are you ashamed of it? We are sitting in Parliament tight. Was it not our territory?

Why were the talks started ? Why did you take initiative ? You should give a categorical reply to it. You are giving a wrong impression to the world that it is something very serious, very basic and very fundamental. Why all that ?

I would support this Bill but I have got certain doubts also.

Then, may I know why you gave an English name to Nagaland. Why not Nag Bhumi, Nagnadu or Nag Pradesh? What's that preserving identity which you repeat all the time ?

There is no name without identity. The exposure of 21 names here has revealed who those persons are : otherwise how could one know? Thus name denotes identity and not the word land. Calling Rajasthan as Rana Pratap Land would not speak of the identity of Rajasthan.

So we should preserve the history and soul together to give complete identity. India is not merely a geographical description but also an identity with a spritual personality. So, these thing should not be played with.

We should therefore, not confused while bringing others nearer to us. Let the close-ones be not allowed to go farther. Please give a categorical answer to this.

There has been a talk about bringing Nepal also closer. But sometime back our Government themselves worked against this when he asked the late King Mahendra not to attend to a R.S.S. invitations which he had already accepted. That was the time of Shri Lal Bahadur Shastri. Was this invitation an anti-national act. Marshall Tito was present in a party function *i.e.*, in Congress Session. You made him wear a white cap. But you blocked the way of bringing Nepal nearer, just because of your party prejudices and disagreements with R.S.S. For that you did not care for national in'erest.

None would come closer only by giving him a place in the Constitution only. Let him feel proud of becoming a part and parcel of Indian Parliament. For that we should create an atmosphere which may produce conducive to the dignity of being an Hon. Member of Our Parliament.

There were certain charges on us that we received foreign money. For that we offered ourselves for any inquiry. You held the inquiries but you never disclosed the outcome putting a lame excuse that that was not in public interest. Wonderful!

Those people have actually been demanding for merger since, 1947 long before that treaty was signed. For all purposes they have been having considered Indian nationals. What was the difficulty then? Now again they are coming here in the Parliament also. Why still you keep this much separation also? The people of Sikkim have been demanding for merger in India for the last 25 years.

Don't bother about what others say. Let Pakistan and China say whatever they like; you have taken a very right step. Your step in respect of atomic blast too was criticised by some people. So what? We should not be afraid of any body. We wasted a lot of time in liberating Goa. Why should be suffocate ourselves just under the bigbear about what would the world say? We are not a small nation and so our actions and approach should not be petty. We should get a permanent place in the Security Council. Our atomic blast has made it clear that we are not less strong but we have to keep all others with us. Let there not be a big-brother attitude.

Mr. Deputy Speaker : Big-brother is a dirty word.

श्री पीलू मोदी : उन्होंन बड़े भाई को गोद ले लिया है।

Shri Jagannath Rao Joshi : For all purposes, they will be Members of this Parliament and they may become Ministers also. So they should be made full fledged Indian Citizens. Do not open door for new confusions. Let the Hon. Minister give an assurance to that effect.

With these words I support the Bill.

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : जब श्री जोशी तथा उनके दल को इस विधेयक में आलोचना करने का कुछ नहीं मिला तो उन्होंने इस विधेयक से इतर बातें करके अपनी भडास निकाली है। मैं जानता हूं कि मेरे बाद बोलने वाले कुछ अन्य सदस्य भी इस विधेयक में कुछ संविधान संबंधी तथा कानूनी दोष निकालेंगे परन्तु मैं व्यक्तिगत रूप से यह समझता हूं कि यह विधेयक संविधान

संशोधन विधेयक जरूर है परन्तु यह कोई शुद्ध कानूनी गतिविधि नहीं है । हम में एक उत्साहपूर्वक किये गये एक राजनैतिक निर्णय की अभिव्यक्ति है इसलिये हमें इस विधेयक पर केवल एक वकील की नज़र से दृष्टिगत नहीं करना चाहिये । इसके विपरीत राजनैतिक दृष्टि से इस विधेयक को अनुमोदन प्रदान किया जाना चाहिये । तथापि इसमें संवैधानिक कमियाँ भी नहीं रहनी चाहिये अन्यथा अदालत इसे रद्द कर देगी । मैं भी सभा के सामने ऐसी बातें करने का प्रयास करूगा ताकि अदालत द्वारा उन कमियों के कारण इस विधेयक को या इस के किसी प्रावधान को रद्द किये जाने की संभावना न रहे ।

मूल प्रश्न तो यह है कि क्या हम हमारे पड़ौसी हिमालय प्रवर्तीय इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं तथा भावनाओं का सम्मान करें जिसके साथ हमारा बड़े लम्बे समय एक विशिष्ट प्रकार का रिश्ता रहा है । वे अपने को पूरी तरह लोकतांत्रिक स्वरूप देना चाहते हैं, लोकप्रिय सरकार बनाना चाहते हैं वे हमारे देश के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक संस्थानों को संसद में भी शामिल होना चाहते हैं । यदि मेरे इस प्रश्न का उत्तर 'हाँ' में है तो निश्चय ही हमें इस विधेयक को समर्थन देना ही पड़ेगा । इनके लिये हमें उन सभी प्रकार की बाधाओं को भी दूर करना होगा जोकि उस काम में आड़े आती हैं । और यदि आप नहीं चाहते तो फिर तो आप चाहे जो दलील दे सकते हैं संविधान की अड़चने सामने ला सकते हैं ।

हिमालयवर्ती इस सुन्दर राजधानी का हमारे साथ यह विशेष संबंध कोई नया नहीं है 7 दिसंबर, 1947 जब कि वहाँ सर्व प्रथम एक राजनैतिक दल गठित हुआ था तभी से वे लोग लोकतंत्र तथा अपनी लोकप्रिय सरकार की माँग करते रहे हैं और भारत के साथ बड़े गहरे संबंध उन्होंने रखे हैं । यह हमारा दुर्भाग्य ही रहा कि हमने उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति में इतना समय नष्ट कर दिया । 1950 में हमने एक करार किया परन्तु उसमें भी हमने उन लोगों की भावनाओं को सम्मान नहीं दिया ।

अब सिक्किम में एक लोकप्रिय आन्दोलन चलने का अपना इतिहास है । काफी संघर्ष के पश्चात् लोग अपने उद्देश्य में सफल हुए और उनका संविधान बना । वहाँ का एक पक्ष सिक्किम को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता क्योंकि इसके फलस्वरूप उसकी सत्ता समाप्त होती है । इसलिये वे लोग इस संदर्भ में भरपूर रुकावटें पैदा कर रहें हैं । परन्तु वहां के जनगन की आकांक्षाओं का हमें पता है, वे हमारे सामने रखी गई हैं और हमें उनका आदर करना है ।

इस संदर्भ में दो प्रकार की आपत्तिय पैदा होंगी । एक तो राजनतिक और दूसरी कानूनी । राजनैतिक तो यह कि इस कार्य की विपरीत प्रतिक्रिया होगी । कुछ लोग दलील देंगे कि वहां के लोगों की राय जनमत कराकर ली जाये । श्री मिश्र तो इस बड़ी भारी संवैधानिक भल ही कहेंगे ।

हमें उन लोगों की ओर से अब भी आलोचना मिलेगी जिन्होंने बंगला देश के मामले में भी सरकार की आलोचना की थी । परन्तु क्या कोई देश ऐसे तत्वों की आलोचना से डरकर जीवित रह सकता है ? जब हम कोई क्षेत्र अभिगृहित ही करते हैं तो साम्यवादी मार्कसवादी कहते है कि हमने किसी क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया है जबकि अरब का इतिहास बताता है भारत ने हमेशा स्संकृति

स्वरूप बनाये रखा है। बंगलादेश के बारे में यह आलोचना की गई कि भारत दूसरे देश के क्षेत्र को आजाद करना चाहता है। इसके लिये मेरा उत्तर यह है कि आजाद होने की भावना हो तो स्वतः ही पैदा होती है किसी के कहने से नहीं।

एक प्रश्न यह था कि यह विधेयक पारित करने से पूर्व सिक्किम में जनमत कराया जाय ताकि लोगों की इच्छाओं का पता लग सके। परन्तु यह आकांक्षा तो स्वयं उनकी सरकार ने ही हमारे समक्ष व्यक्त की है। वहां लोगों के प्रतिनिधियों की विधान सभा है और उसी ने अपने लोगों की ओर से यह कामना की है कि उन्हें भारत के साथ मिलाया जाये। अब यदि हम उस विधान सभा के निर्णय का आदर नहीं करते है तो वस्तुतः यह इस विधान सभा का अपमान ही होगा। दूसरे शब्दों में यह वहाँ के लोगों का अपमान होगा।

श्री मिश्र ने कहा कि यह कृत्य संविधान के निर्माताओं की मूल विचारधारा के विरूद्ध है परन्तु उस समय हमारे वे नेता ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते थे जो आज उत्पन्न हुई है। वे सोच भी नहीं सकते थे कि सिक्किम एक लोकप्रिय सरकार बन जायेगी। इसलिये हम एक गलत धारणा कहना श्री मिश्र जी की भूल है। यह विधेयक तो वास्तविकता की आधार शिला पर टिका है।

जहाँ तक कानूनी आपत्तियों का सम्बन्ध है, मेरे विचार में विदेश मंत्री ने पहले ही में संशोधन प्रस्तुत करके सब शंकाए दूर कर दी हैं। यह ठीक है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार गैर-नागरिक व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता, परन्तु संविधान में संशोधन करके ऐसा किया जा सकता है। निःसंदेह इस व्यवस्था को कार्य रूप देने में अनेक कठिनाइयाँ आ सकती हैं, परन्तु उनको अभी बढ़ा चढ़ा कर बताना उचित नहीं होगा। इस समय हमें उन संवैधानिक दोषों को दूर करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिये जिनके रहते न्यायालय इस को रद्द कर सकता है। यह खेद की बात है कि चोग्याल ने इस व्यबस्था का अनुमोदन नहीं किया है। उन्होंने जनता की प्रेरणाओं और आकांक्षाओं का आदर करना चाहिये। मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित–आँग्ल-भारतीय) : हमें इस विधेयक पर चीन को अथवा भारत में उसके मित्रों की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं देना चाहिये। इस विधेयक से विलय की कोई झलक नहीं मिलती। मेरे अपने विचार में, यदि हम उन से विलय के लिये कहते तो बेहतर होता, क्योंकि उस अवस्था में हमें संविधान में कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता न पड़ती। यह मेरी मूल आपत्ति है, मैं इस प्रकार के विधेयक को ठीक नहीं समझता। राजनीतिक दृष्टि से यह अधिक ख़तरनाक है। यदि सिक्किम की जनता विलय चाहती है तो हमें उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये। हम उसको सह-राज्य का दर्जा देना चाहते हैं जिसके लिये हमारे संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हम भारत संघ में कोई एसा राज्य स्वीकार करने को तयार नहीं जो भारत का अभिन्न अंग न हो। हमारे संविधान का यह मुख्य सिद्धांत है। अब वे सिक्किम को सह-राज्य बनाना चाहते हैं, जोकि संविधान की भावना के विरूद्ध है, हमारी सरकार संविधान की मूल संकल्पनाओं का बदल कर नई संकल्पनाओं के लिये मार्ग प्रशस्त कर रही है, मैं ने इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण पढ़ा है और मेरे विचार में, चाहे आप चाहते हों या नहीं, संवैधानिक रूप से

सरकार ने केवल संसद को ही नहीं बल्कि संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही संसद को सिक्किम विधान सभा के समान ला रखा है। उनका कहना है कि सिक्किम विधान सभा ने अनुरोध किया है और इसीलिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने 1974 में अधिनियम पास किया था तो उन्होंने विलय की माँग क्यों नहीं की? क्या सिक्किम विधान सभा इस माँग को रद्द कर सकती है, जिसके आधार यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है? इसकी क्या गारंटी है कि वह ऐसा नहीं कर सकती? परन्तु यदि वे ऐसा करें तो इस विधेयक की क्या स्थिति होगी? हम सब उपहास के पात्र बन जायेंगे। यदि वे कहें कि हमें प्रतिनिधित्व नहीं चाहिये तो इसका क्या प्रभाव होगा? हम किसी बाह्य निकाय के आग्रह पर अपना संविधान बदलने के लिये तैयार हो गये हैं। हमें इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये कानून की दृष्टि से वे विदेशी माने जायेंगे। फिर वे शपथ किस रूप में लेंगे? वे निश्चय ही संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे क्योंकि वे विदशी होंगे।

यह कहा गया है कि संविधान में जम्मू और कश्मीर के लिये विशेष उपबन्ध है, परन्तु इसकी सिक्किम के साथ तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वह प्रतिनिधित्व विदेशियों को नहीं दिया गया था। उस मामले में भारतियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न था। इस सभा में बैठने के लिये भारतीय होना आवश्यक है। मैं ने प्रधान मंत्री से भी कहा था कि यदि वे हमारे साथ मिलना चाहते हैं तो उन्होंने विलय के लिये क्यों नहीं कहा। हमें इस बात की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिये कि वे बाद मे अपने विचार बदल सकें। सिक्किम में नेपाली-भाषी लोगों की संख्या अधिक है और यह सम्भव है कि वे हम से दूर हटने का प्रयत्न करें।

संविधान में केन्द्र को अधिक से अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है, फिर भी दक्षिण, मिज़ोरम, काश्मीर की ओर से पृथक होने की मांग होती रहती है, इस प्रकार की व्यवस्था से पृथकतावादी तत्वों को बढ़ावा मिलेगा कि विदेशी भी इस महासंघ में भाग ले सकते हैं। यदि केन्द्र कमज़ोर होता है तो इस देश की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। यदि इस प्रकार का संशोधन किया गया तो यह देश टुकड़े टुकड़े हो जायेगा।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : इस संशोधन का ऐतिहासिक महत्व है। श्री एन्थनी ने अनेक आपत्तियां उठाई और संविधान निर्माताओं के मूल विचार बताये हैं।

श्री जगन्नाथ राव जोशी पीठासीन हुए।

Shri Jagannathrao Joshi in the Chair

मैं संविधान निर्माताओं का बहुत सम्मान करता हूं, परन्तु संविधान तत्कालीन जनता की आकांक्षाओं का रूप होता है। अतः किसी सजीव संविधान को स्थिर नहीं माना जा सकता। अतः उसमें युग विशेष की आकांक्षाओं का आभास मिलाना चाहिये यह ठीक है कि वर्ष 1950 में संविधान निर्माताओं ने यह सह-राज्य का दर्जा दिये जाने के बारे में विचार नहीं किया और इसीलिये यह विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता अनुभव हुई है।

संविधान संशोधन विधेयक और साधारण कानून अथवा विधेयक में अन्तर होता है। साधारण विधेयक संविधान के उपबन्धों के अनुरुप होना चाहिये, परन्तु जब हम संविधान का ही संशोधन कर रहे हों तो यह आवश्यक नहीं है कि वह पिछले संविधान के अनुरूप हो, क्योंकि हम पिछले संविधान में ही संशोधन कर रहे हैं। यह दोनों प्रकार के विधेयकों में मूल अन्तर है। अतः इस आधार पर की गई आपत्तियां व्यर्थ हैं। संविधान संशोधन विधेयक को पिछले संविधान की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। संविधान गतिशील होना चाहिये। नये संशोधन विधेयक में हमारे एक पड़ौसी देश सिक्कम की जनता की भावनाएं अन्तर्निहित हैं। वे भारत के साथ अधिक निकट के आर्थिक एवं राजनीतिक संबंध रखना चाहते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि प्रस्तुत विधेयक में एक भिन्न व्यवस्था, एक भिन्न संकल्पना है जो पहले संविधान निर्माण के समय नहीं थी।

इस प्रकार की स्थिति हमारे देश में ही पैदा नहीं हुई है। रूस जसे देश में भी स्वतंत्र एव स्वायत्त राज्यों को मान्यता दी गई है और इतना ही नहीं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व भी प्राप्त है। प्रत्येक देश ने इस प्रकार की स्थिति विशेष का सामना किया है और उसके अनुरूप व्यवस्था की है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि अन्य देश हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वस्तुतः उनके मन उद्विग्न हैं। वे भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है, अन्य देशों क मत नहीं। यदि कोई देश किसी स्थिति विशेष में भारत की आलोचना करता है तो इसका कारण यह है कि उसके हित हमारे देश क हितों से मेल नहीं रखते। अतः हमें अन्तर्राष्ट्रीय मत को ध्यान में रख कर कोई निर्णय नहीं करना चाहिये। हमें अपने देश और सिक्कम की आकांक्षाओं और हितों को ध्यान में रखकर निणय करने चाहिये।

हम किसी देश को अपन देश क साथ मिलाना नहीं चाहत। भारत सदा संतुष्ठ रहा है और अन्य देशों की सहायता करने में तत्पर रहा है। अतः यह आरोप गलत है कि हम सिक्कम को अपने देश में मिलाना चाहते हैं। अतः मेरे विचार में सभी दलों को इस ऐतिहासिक व्यवस्था का स्वागत करना चाहिये, जो कि एक प्रगतिशील कदम है।

श्री बी० के० देव (कालाहांडी) : जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब कई राज्यों में ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई थी कि वे स्वतंत्र भारत में शामिल न हों। उस समय ट्रावनकोर-कोचीन को भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिये चाल चली गई थी परन्तु उस समय देश भक्ति की लहर इतनी जबरदस्त थी कि वहां के शासक को मजबूर हो कर इस देश के साथ विलय सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। अन्य अनेक राज्यों में भी इसी प्रकार ,स्थति पर काबू पा लिया था, इस मामले में भी जब सिक्किम की जनता हमारे साथ है तो उनका पूरा उपयोग क्यों न किया जाये और इस विधयक को त्रुटिरहित बना दिया जाये ताकि सिक्कम सदा के लिये इस देश का अभिन्न अंग बन जाये। मैं इस विचार से सहमत हो सकता हूं कि सिक्कम इस देश का 22वाँ राज्य बन जाये परन्तु मैं इससे सहमत नहीं हूं कि उसको सह-राज्य का दर्जा दिया जाये।

श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए ।

Shri Ishaque Sambhli in the Chair

सिक्कम को सह-राज्य स्वीकार करने से अनेक आंतरिक तथा वाह्य प्रतिक्रियाएं खड़ी हो जायेंगी । हमने उसको पहले ही संरक्षण प्रदान किया हुआ है । जब विश्व के विभिन्न भागों में इस प्रकार की दक्षिण राज्य स्वाधीन राज्य होते जा रहे हैं तो हमारे लिये यह कहना कठिन है कि सिक्कम बिना किसी द्विपक्षीय समझौते के अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश का अंग बन जायेगा । इस प्रकार की व्यवस्था की गम्भीर आलोचना की जायेगी, जैसा कि नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत में तथा चीन में हुई है । जहां तक सिक्कम अधिनियम का सम्बन्ध है, वह ठीक है परन्तु 28 जून, 1974 के संकल्प के माध्यम से उन्होंने 'राजनीतिक संस्थाओं' के स्थान पर 'संसदीय प्रणाली' शब्द रखे हैं । जहां तक चोग्याल का सम्बन्ध है, आज हमें सरदार पटैल जैसे व्यक्तित्व का अभाव खटकता है, जो चोग्याल के हस्ताक्षर करवा सकता था और सिक्कम को इस देश का अभिन्न अंग बनाने में सफल हो सकता था ।

आज देश में पृथकतावादी शक्तियां जोर पकड़ती जा रहीं हैं । अतः, मैं चाहता हूं कि सरकार सिक्कम के साथ समझौता करके उसे स्थायी रूप से इस देश का अंग बनाये । आज वह हमारे देश में प्रतिनिधि भेजना चाहते हैं और कल यदि वे उन्हें वापिस बुला लें या उन्हें किसी अन्य देश में भेजना चाहें तो हमारी स्थिति क्या होगी ? हमें सिक्कम के विधान मंडल के सदस्यों की इच्छाओं के अनुसार अपने संविधान में संशोधन नहीं करना चाहिये ।

मैं महसूस करता हूं कि यह काम जनता का बढ़ते हुए मूल्यों, गरीबी, बेरोजगारी, खाद्याभाव, भुखमरी आदि जैसी गम्भीर समस्याओं की ओर से ध्यान बदलने के लिये किया जा रहा है । कुछ दिन पूर्व जनता का ध्यान बदलने के लिए एक परमाणु विस्फोट किया गया था । सरकार, उपरोक्त समस्याओं को हल करने में असफल रही है और इसीलिये अब वह ऐसे काम करके जनता का ध्यान बदलना चाहती है । सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है, पहले भी वह भारत का अभिन्न अंग रहा है, परन्तु इस काम को प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिये, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं जैसा कि वर्तमान संविधान (संशोधन) विधेयक के माध्यम से किया जा रहा है ।

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत संघ में सिक्किम को सह सदस्यता का दर्जा प्रदान करने के सिद्धान्त का मैं स्वागत करता हूं । यदि हम सिक्किम के बारे में जल्द सिद्धातों को स्वीकार कर लेते हैं तो इसका यह अभिप्राय होगा कि हमने विधेयक प्रस्तुत कर बहुत प्रसंशनीय कार्य किया है । भविष्य में सिक्किम अपेक्षित स्वायत्तता लेकर भारत का एक पूर्ण राज्य बन जायेगा ।

भारत के साथ सह-सदस्यता के लिये सिक्किम का लोक तांत्रिक अनुरोध कोई हाल ही की बात नहीं है । वास्तव में भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन से सिक्किम के लोग अपना राजनीतिक दल बनाने के लिये प्रोत्साहित हुए और इस प्रकार 1947 में सिक्किम स्टेट कांग्रेस की स्थापना हुई । तब से वे भारत के साथ सह-सदस्यता के लिये संघर्ष करते आये हैं । लेकिन भारत सरकार

किसी न किसी प्रकार चोग्याल का पक्ष लेती रही है। सरकार ऐसा साहसिक कदम उठाने के लिये बधाई की पात्र है।

कुछ लोगों का विचार है कि उक्त सशोधन से चीन से तथा अन्य देशों से हमारे सम्बन्ध बिगड़ जायेंगे। लेकिन यदि हम ठीक बात करना चाहते हैं तो हमें किसी भी गलत धारणा से नहीं डरना चाहिये। हम इस बारे में निर्णय ले चुके हैं कि सिक्किम से हमारे कसे सम्बन्ध होने चाहिये।

चीन हमारे विधेयक का विरोध करता रहा है। चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया है और दलाई लामा को अपना देश छोड़ने के लिये बाध्य किया। सिक्किम में चोग्याल हमेशा चोग्याल बना रह सकता है और वह अपना पृथक-संविधान बनाये रख सकता है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि हम अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं और सिक्किम को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं ; यह बात सही नहीं है।

एक अन्य शिकायत यह की गई है कि विधेयक को प्रस्तुत करने में बहुत जल्दबाजी की गई है। इस प्रकार के मामलों में कुछ जल्दबाजी करने की आवश्यकता हो जाती है क्योंकि सिक्किम में पहले ही चोग्याल और मुख्य मंत्री के बीच मतभेद चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सिक्किम में कुछ लोगों को रिश्वत देकर दल से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। विदेशी शक्तियां भी वहां सक्रिय हो गई हैं। इस विधेयक को शीघ्रता से प्रस्तुत करने के लिये मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं।

संविधान में इस प्रकार संशोधन करने की आलोचना की गई है जो उचित नहीं है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (धारापुरम) : संविधान (संशोधन) विधेयक को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि यह विश्व के इतिहास में अभूतपूर्व राजनीतिक घटना है। सिक्किम के मुख्य मंत्री का कथन है कि यह लोगों की आकांक्षाएं हैं जो कि संविधान संशोधन के रूप में सामने आ रही हैं जबकि चोग्याल का कहना है कि यह सब कुछ जनता की आकांक्षाओं के विरुद्ध किया जा रहा है। नेपाल का भी यही कथन है कि भारत-सरकार की कार्यवाही सिक्किम के अपने पृथक-अस्तित्व के विरुद्ध है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सिक्किम के मुख्य मंत्री और भारत के प्रधान मंत्री के लिये क्या यह उचित नहीं होगा कि वे इस मामले में सिक्किम में जनमत जानने का प्रयास करें ?

यह विधेयक सदन में इसलिये प्रस्तुत किया गया है कि सिक्किम की नेशनल असेम्बली ने मतैक्य से यह संकल्प पारित किया है जिसमें भारत के साथ गहरे सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि यदि इस देश का कोई राज्य अपनी विधान सभा में एक मत से एक संकल्प पारित करता है तो क्या सरकार संसद में सिक्किम की भांति उस कानून को भी लागू कर देगी ? उक्त संकल्प अधिकृत रूप से नहीं भेजा गया है। क्या इस सम्बन्ध में भारत सिक्किम सरकार ने भारत सरकार से औपचारिक अनुरोध किया है ?

सिक्किम प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य है। इसका अपना पृथक अस्तित्व है। इसकी अपनी ही संस्कृति है। एक पृथक राज्य को उस सभा में प्रतिनिधित्व देने की बात की जा रही है। लेकिन मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तावित संशोधन से यह बोध होता है कि यह एक प्रभसत्ता सम्पन्न राज्य नहीं

है । यह बात समझ में नहीं आती कि यह उनके अपने विचार हैं अथवा सरकार के विचार हैं । रूस में यदि कोई राज्य अन्य देश से व्यापार सम्बन्ध रखना चाहता है, तो वह ऐसी रूस सरकार के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कर सकता है ।

यद्यपि हमारे देश में संघीय व्यवस्था है लेकिन इसके सिद्धान्तों का पालन नहीं किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में हमारी शंकाओं को झुठलाया जा रहा है । सरकार द्वारा महासंघ के सिद्धातों को स्वीकार किये जाने पर हम प्रसन्न हैं ।

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwall) : Our treaty with Sikkim in 1950 was on the line of British treaty of 1861 with that country. It was stated in that treaty that in case of difference between the two countries, the matter would be referred to the Supreme Court of India. It must be remembered that Sikkim has never been an independent sovreign state. So, under the Agreement of 1950, its defence, foreign affairs and Communications would remain under the control of India.

The people of Sikkim have ultimately won their battle against the feuda domination. It is in response to the democratic urges of the people there that this Bill has been brought forward.

We never had an expansionist policy. We do not want any interference or encroachment in our neighbour's territory, as it is clear from the events in Bangla Desh.

It is not the first time that such censtitutional arrangement for association of a State has been made. We have differences with Ceylone on the matter of -Kaccha-Tibu. But now that issue has been settled. We want to have amicable relations with China and Pakistan. Our country has neither attacked any other country nor believe in the policy of expansionsim.

We greatly praised the far signtedness of Sardar Patel. He was responsible for reorganisation of States and saving India from disintegrating into different parts.

It is due to the effective external and internal policy of the Congress that we have been able to protect our independence.

We respect the feelings of the people of Sikkim. The Chogyal of Sikkim is convinced that the traditional identity of Sikkim will be maintained and this arrangement will not create any new complications in the internal sphere

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं इस विधेयक को राजनीतिक दृष्टि से अनुचित, संवैधानिक रूप से बेहूदा और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से संदेहास्पद समझता हूं ।

स्वतन्त्रता के समय भी सिक्किम को भारत के साथ मिलाने की बड़ी जोरदार मांग की गई थी । सिक्किम चेम्बर आफ प्रिंसिस का सदस्य था लेकिम हमारे गणतन्त्र के संस्थापकों ने भारत के हित में यही सोचा था कि भारत और सिक्किम दोनों देशों के बीच विशेष सम्बन्ध रहे । अब यदि उस विशेष सम्बन्ध के तथ्यों को महसूस नहीं किया जाता तो यह हमारे भविष्य के लिये उचित नहीं होगा ।

आज चोग्याल को प्रधान मंत्री ने बनाये रखा है। यदि चोग्याल को बनाये रखना हमारे देश तथा सिक्किम के हित में नहीं है तो प्रधान मंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिये। अब सरकार सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिये हमारे संस्थापकों द्वारा किये गये कार्यों का बहिष्कार कर रही है। वह यह अनुभव नहीं करती कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत की जनता स्वयं उनका बहिष्कार करने लगेगी।

सिक्किम को हम अपने संरक्षित राज्य के रूप में समझते हैं। इसकी रक्षा, विदेश कार्यों तथा संचार की जिम्मेदारी हमारी है। भारत सरकार के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन आदि जैसे कार्यालय सिक्किम में स्थित हैं और सरकार केवल इस बात का प्रचार करना चाहती है कि सिक्किम और भारत की एकता बनी हुई है।

सरकार इस संवैधानिक संशोधन विधेयक को प्रस्तुत कर अनेक समस्यायें उत्पन्न कर रही है। अतः सैवैधानिक अनियमितता बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है।

एक व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक न हो, संसद में बैठने की कैसे अनुमति दी जा सकती है ?

यह सारी व्यवस्था भारत की एकता और अखण्डता के विरुद्ध है। संघ का सिद्धांत एकता का प्रतीक है। अब हम सहभागिता का सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। अन्य एकक भी ऐसा क्यों नहीं करते ? ऐसा करने पर अन्य एककों के लिये भी ऐसा करना सुगम हो जायेगा क्योंकि इसके लिये संवैधानिक व्यवस्था अथवा संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इस प्रकार संघ को एसोसियेशन में बदला जा रहा है।

आकाशवाणी तथा टैलीविजन द्वारा विरोधी पक्ष के विरुद्ध घातक प्रचार राजनीतिक दृष्टि से अदूरदर्शितापूर्ण तथा संवैधानिक कि दृष्टि से बेहूदा है।

सरकार दक्षिण में तथा देश के पूर्वी भागों अर्थात् नागालैण्ड तथा मिजोरम में विकेन्द्रीकरण की शक्तियों को बढ़ावा दे रही है।

सरकार संविधान की गतिशीलता पर बल दे रही है आज भारत के संघात्मक ढांचे को समाप्त कर रहे हैं। आज बंगाल में यह भावना है कि वह राज्य शेष देश की कालोनी है।

हमें बताया गया है कि यह कार्यवाही सिक्किम के लोगों के आग्रह पर की जा रही है। यदि आप यह समझते हैं कि सिक्किम में ऐसे राजनीतिक तत्व नहीं होंगे जो इस नयी व्यवस्था के विरुद्ध आन्दोलन करें तो ऐसा समझना भूल है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रभुसत्ता अन्ततः जनता की स्वीकार की गई है।

जब कि देश में पहले ही कठिनाइयां विद्यमान हैं फिर जनतान्त्रिक आग्रह के नाम पर यह नया कदम क्यों उठाया गया है ? मैं समझता हूं कि यह कार्यवाही संविधान विरुद्ध है।

उच्चतम न्यायालय का यह स्पष्ट निर्णय है कि संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार है परन्तु संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

ऐसा लगता है कि कुछ बाहरी शक्तियां यह परिवर्तन लाने में कार्यरत है। हमें बताया गया कि व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस कार्यवाही के प्रति कोई विरोध नहीं है। सम्भव है कि इस समय लोग आपकी बात से सहमत हों परन्तु अन्ततोगत्वा आन्दोलन भड़क सकता है तथा हमारे संविधान को क्षति पहुंचा सकता है। मैं समझता हूं कि सरकार समझदारी से काम करते हुए ऐसा विधेयक लायेगी जिसकी विश्व में अनुचित प्रतिक्रिया नहीं।

श्री बी० के० दास चौधरी : (कूच बिहार) : मैं नहीं समझता कि इस विधेयक के बारे में कोई मूलभूत मतभेद है। परन्तु इस समस्या को समझने में कुछ कठिनाइयां हैं।

सिक्किम की विधान सभा द्वारा प्रस्तावित सह-राज्य के दर्जे के बारे में अधिक तर्क दिये गये हैं। श्री मिश्र ने ऐसे विधेयक की सिफारिश की है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव न हो। हमने एक व्यवस्था की है इसमें बुराई क्या है।

संघात्मकता के सिद्धान्त किसी भी ग्रन्थ में नहीं दिये गये। यह विकास की प्रक्रिया द्वारा सम्भव है। क्या इन सिद्धान्तों में समय समय पर परिवर्तन किये जा सकते हैं। विदेश मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया है कि सिक्किम की जनता की इच्छा का आदर करते हुए हमने नयी व्यवस्था बनाई है। त्रिदलीय समझौते के अनुसार हम जनता की राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये वचनबद्ध हैं।

हम वही कार्यवाही कर रहें है जिस पर समझौता हुआ है। हमने दसवीं अनुसूची में कुछ भी नहीं जोड़ा है तथा 1973 के करार में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। यह बात विशेष रूप से स्पष्ट की गई है कि सिक्किम की सुरक्षा, विदेशी मामलों, जन कल्याण तथा वित्तीय संस्थाओं आदि की जिम्मेदारी भारत की है।

भारत सरकार की नीति जनतन्त्र, समाजवाद, मैत्री, सहयोग तथा सह-आस्तत्व को बढ़ावा देने की है। बंगला देश के समान इस देश में जनतन्त्र को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम की जनता की आकांक्षाओं को मान्याता देने के लिये नये संवैधानिक उपायों की आवश्यकता है।

मैं इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

श्री समर गुह : (कंटाई) : अंग्रेजों के शासनकाल में भी सिक्किम राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टियों से भारत का अंग था। यदि भारत के संविधान निर्माताओं ने उसी समय सिक्किम के लोगों की मांग को स्वीकार कर लिया होता तो उस समय सिक्किम का भारत से विलय हो जाता। मैं नहीं जानता कि क्यों उसे छोड़ दिया गया जबकि 150 मील नीचे कूचबिहार के राज्य को संघ में सम्मिलित कर लिया गया। कूचबिहार के लोग भी अनेक दृष्टियों से मंगोलों की तरह हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने यह गलत बात कही कि कूच बिहार के लोग मंगोलियन रक्त के हैं।

Mr. Chairman: There is no point of order in it.

श्री समर गुह : बंगालियों में भी मंगोलियन, आर्य तथा द्रविड़ रक्त सम्मिलित हैं।

Mr. Chairman: Please consider yourself as a member and not a Professor.

श्री समर गुह : मैं कह रहा था कि जब कूच बिहार का भारत संघ में विलय किया गया तब सिक्किम को छोड़े जाने में कोई औचित्य नहीं था। ऐसा करने पर यह समस्या उठती ही नहीं। अब जबकि देश में आंतरिक संकट विद्यमान है तथा कुछ अंतर्राष्ट्रीय तनाव बने हु है, तब इसी समय इस कार्य को क्यों शुरू किया गया है। क्या सरकार ने इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं एवं संवैधानिक पहलुओं का अध्ययन किया है। सह-राज्य का दर्जा न केवल भारतीय संविधान के अपितु भारतीय राष्ट्रीयता के भी प्रतिकूल है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि इस विधेयक के पारित किये जाने के बाद क्या स्थिति होगी कहा नहीं जा सकता। सिक्किम के लोग भारतीय होंगे और भारतीय नहीं भी होंगे। सिक्किम की स्थिति त्रिशंकु जैसी होगी जो न इधर है न उधर। मंत्री महोदय ने गतिशीलता का उल्लेख किया। है यह हमें किस दिशा की ओर ले जायेगी ?

सह-राज्य की व्यवस्था की आंतरिक प्रतिक्रिया क्या होगी। प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक अखंडता के मामले पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इस समय जबकि हमें अधिक भावनात्मक एकता की आवश्यकता हैं, मुझे भय है कि प्रस्ताविक कार्यवाहियों से विकेन्द्रीयकरण की शक्तियों को बढ़ावा मिलेगा। हमें विदित है कि नागालैंड, मिजोरम तथा काश्मीर आदि राज्यों द्वारा इसी प्रकार के स्तर की मांग की जाती रही है। इस विधेयक के पारित होने से ऐसी खतरनाक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।

हमें विदित है कि कई राज्यों में उस राज्य के नागरिकों को ही राज्य के सरकारी ही नहीं गैर-सरकार उपक्रमों में नियुक्ति पर बल दिया जा रहा है। इस प्रकार की घातक प्रवृत्तियां पहले से ही देश में विद्यमान हैं। इस प्रकार न तो हम संघ का और न ही महासंघ का निर्माण कर रहे हैं अपितु एक विश्रंखलित ढ़ांचे का निर्माण कर रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी यह समय इस कार्यवाही के लिये अत्यन्त अनुपयुक्त है। एक महान शक्ति को छोड़कर शेष विश्व की प्रतिक्रिया हमारे पक्ष में नहीं होगी। सरकार ने जान बूझ कर जोखिम उठाया है। उन्होंने हमारी राष्ट्रीय एकता की परिसंकल्पना को भी आघात पहुंचाया है। सिक्किम को हम पहले ही विशेष सुविधाएं देते रहे हैं ताकि वहां की विशिष्ट सांस्कृतिक अस्तित्व को बनाये रखा जाये।

मैं मांग करता हूं कि सिक्कम को उसकी सांस्कृतिक अस्तित्व का सम्मान करते हुए भारत का 22वां राज्य बनाया जाये।

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही (भुवनेश्वर) : यह कदम अत्यन्त एतिहासिक और महत्वपूर्ण है। मैं अनुभव करता हूं कि जब भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाये जाते हैं संविधान का उल्लेख करते हुए उनका विरोध किया जाता है। विरोधी पक्ष द्वारा संविधान का व्यर्थ ही नाम लिया जाता है। मैं समझता हूं कि सिक्किम के तथा भारत के महान लोग 25 वर्षों में उठाये गये इस ऐतिहासिक

व्यवस्था का समर्थन करेंगे। हिमालय के दोनों ओर दो भिन्न जीवन पद्धतियों के मध्य संघर्ष चल रहा है। सिक्किम के वीर पुरुष पिछले 25 वर्ष से अपने देश में समाजवादी प्रजातन्त्र की स्थापना का यत्न कर रहे हैं। यदि उन्होंने उस मित्र देश के साथ सम्बद्ध होने का निर्णय किया है तो भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वहां की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें।

मैं सिक्किम के महान लोगों को सामान्ती प्रथा समाप्त करने पर बधाई देता हूं।

भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से हिमालय आज एशिया की दो महान शक्तियों के मध्य जंकशन का कार्य करता है।

यह कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिए क्योंकि पिछले 25 वर्ष में बहुत सी पेचीदा समस्याएं पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर में शीघ्र समाधान की मांग कर रही हैं।

सिक्किम की समस्या के समाधान में हमने वहां की जनता को उचित महत्व प्रदान किया है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (काजीकोंड) : यह विधेयक ऐतिहासिक महत्व का एवं निर्णायक है। सह-राज्य की संकल्पना अभी तक हमारे संविधान में विद्यमान नहीं थी। परन्तु संविधान में कुछ भी स्थिर नहीं है अपितु हमारा संविधान गतिशील है।

अब तक सिक्किम संरक्षित राज्य रहा है तथा हमारा उसकी सुरक्षा, संचार, वैदेशिक कार्य, कानून एवं व्यवस्था के बारे में हमारा उत्तरदायित्व रहा है। परन्तु वहां पर जनतान्त्रिक समस्याओं के विकास के बाद भारत के साथ और दृढ़ संबन्धों की इच्छा व्यक्त की है। इस बारे में मैं सरकार से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। काश्मीर के जनमत संग्रह मोर्चे के नेता सरकार के साथ दीर्घ समय तक बातचीत करते रहे हैं। यदि कल जनमत संग्रह मोर्चे के नेता काश्मीर के लिए सह-राज्य का दर्जा मांगें तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी? कुछ लोग यह भी कहेंगे कि हम विस्तारवादी नीतियों पर चल रहे हैं। इस बात का क्या उत्तर है। यदि मंत्री महोदय सिद्ध कर दें कि यह व्यवस्था राष्ट्रीय हित में है तो हम हमेशा की तरह अब भी इस व्यवस्था का समर्थन करेंगे।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं इस संविधान (संशोधन) विधेयक लाने के लिए विदेश मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

सिक्किम के लोगों ने अपने देश की विधान सभा में भारत के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की थी। उनकी इच्छा के फलस्वरूप ही यह विधेयक लाया गया। इस एतिहासिक कार्यवाही का स्वागत करने के स्थान पर विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया है।

प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि भारत की यह कतई इच्छा नहीं है कि उस क्षेत्र पर प्रभुसत्ता स्थापित की जाये। विदेश मंत्री ने बताया है कि यह कार्यवाही उस देश के साथ मत्री स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है।

हमने सिक्किम में लोकतंत्र की स्थापना की है। हम वहां समाजवाद और समतावादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। सिक्किम चाहता है कि उसे भारत में प्रतिनिधित्व मिले। इसी कारण यह ऐतिहासिक संशोधन विधेयक लाया गया है।

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : सरकार की ओर से यह कहा गया है कि वह सिक्किम की जनता की इच्छा पुरी कर रही है और उनका उद्देश्य वहां पर लोकतंत्र स्थापित करना है। वास्तव में हम केवल चोग्याल के विरोध को चिरस्थायी बना रहे हैं क्यों कि हमने यहां से एक अधिकारी को सिक्किम भेजा है। मैं विदेश मंत्री से सहमत हुं कि यह भारत सरकार का एक अटल राजनीतिक निर्णय है। स्वतंत्रता के बाद से भारत सरकार ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की हैं जिनके विनाशकारी परिणाम निकले हैं। काश्मीर का प्रश्न अभी तक अनिर्णीत पड़ा है।

दलाई लामा को शरण देने के निर्णय से जो परिणाम निकले उन्हें हम आज तक भोग रहे हैं।

जब हम इस विधेयक को स्वीकार कर रहे हैं तो हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि नेपाल में लोकतंत्र के लिये आंदोलन हुआ था और यहां से प्रधान मंत्री को काठमान्डू जाना पड़ा था। अतः हमें यह नहीं कहना चाहिये कि हम नेपाल या भूटान की क्या परवाह करते हैं।

इस बिधेयक के पारित होने के बाद जो गंभीर परिणाम होंगे उनके बारे में हमें सोचना चाहिये। हमें इस बात का आश्वासन मिलना चाहिये कि वर्तमान काश्मीर वार्ता के सम्बन्ध में कम से कम सिक्किम के उदाहरण को सामने नहीं रखने दिया जायेगा।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : विधेयक को पुरःस्थापित करने की अवस्था में मैंने कुछ आपत्तियां उठाई थीं।

(अन्तर्बाधाएं)

यदि मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया गया तो यह बात अनुचित होगी।

सभापति महोदय : आप दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दीजिये।

श्री पी० जी० मावलंकर : हम सभी इस बात के पक्ष में हैं कि सिक्किम और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे और घनिष्ठ संबंध हों परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इस संविधान संशोधन विधेयक में जिस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था है हम उसे स्वीकार करते हैं।

मंत्री महोदय . . .

(अन्तर्बाधाएं)

विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत के संविधान में एक नई व्यवस्था का उपबन्ध किया जा रहा है। हमारा संविधान लोकतन्त्रीय है और इसमें परिवर्तन करने का हमें अधिकार है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह परिवर्तन संविधान में निर्दिष्ट मूल गुणों और सिद्धांतों को बढ़ाने के लिये है? अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यह स्पष्ट करें कि यह नया विचार क्या है?

क्या भारत और सिक्किम के बीच इस विचित्र संवैधानिक संशोधन के बिना उचित और अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित न किये जा सकते थे ? हम 'एसोसियेशन' और 'फेडरेशन' को एक साथ मिला रहे हैं ।

यदि सरकार का यह कहना है कि सिक्किम के लोगों की इच्छा पूरी करने के लिये यह विधेयक लाया गया है तो भारत के लोगों की इच्छा क्या है ? यदि सिक्किम ने इस प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय किया है तो क्या यह एक पक्षीय निर्णय होगा ? क्या इस बात की भी संभावना है कि इस समय संविधान में जो व्यावस्था की जा रही है वह भविष्य में बदल दी जाएगी क्योंकि सिक्किम की जनता कोई भिन्न प्रकार की व्यवस्था चाहती है ? हम इस बात से सहमत हैं कि सिक्किम को अलग इकाई रखा जाये परन्तु हमें भारत के संविधान की विशेषताओं का भी ध्यान रखना है । यह साधारण उपाय नहीं है । इसके साथ भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक राजनीति भी सम्बद्ध है ।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस पक्ष और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने विधेयक का जोरदार समर्थन किया है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए ।

Shri Dinesh Chandra Goswami in the Chair

माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न उठाये हैं । एक प्रश्न यह उठाया गया है कि हमारे संविधान में सह-राज्य की इस नई व्यवस्था से क्या इस देश के अन्य राज्यों में तो इसी प्रकार की मांग तो नहीं की जायेगी ? इसका उत्तर सीधा है । हमारा कोई भी राज्य सिक्किम जैसी स्थिति में नहीं है । यदि यह प्रश्न पुछा जाता कि क्या सिक्किम जैसी स्थिति वाले अन्य राज्य को इस प्रकार का दर्जा प्रदान किया जायेगा तो वह प्रश्न संगत होता । हमारे अन्य राज्यों में से कोई भी राज्य इस प्रकार की मांग नहीं करेगा । मुझे विश्वास है कि भारत की कोई भी संसद इस बात पर सहमत नहीं होगी कि वह संविधान में किये जा रहे विकास की प्रक्रिया को विपरीत करे ।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया है कि शेख मोहमद अब्दुल्ला और जम्मू तथा काश्मीर के नेताओं के साथ चल रही अनौपचारिक स्तर की वार्ता से इसका कोई सम्बन्ध है । इसका इस वार्ता से कोई सम्बन्ध नहीं है । जम्मू तथा काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसके दर्जे को बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

जहां तक मिजोरम और नागालैण्ड आदि का सम्बन्ध है, वे भारत के अंग हैं और मैं एकता के शुभचिंतकों से अपील करता हूं कि वे लोगों के दिमाग में ऐसी कोई नई बात न डालें जिसके लिये वे स्वयं मांग नहीं कर रहे हैं ।

एक बात यह भी उठाई गई है कि उस समय क्या होगा जब सिक्किम एसेम्बली अन्य संकल्प पारित करेंगी ? यह मामला भारत-सिक्किम सम्बन्धों का है और हम इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं । सिक्किम का संविधान सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था और उसी के

अनुसरण में उन्होंने हमसे संसद में प्रतिनिधित्व दिये जाने के लिये अनुरोध किया है। हमने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं होंगे तब तक इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : यदि वे संसद में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजते हैं तो क्या किया जायेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि भारत में राज्य विधान सभा के सदस्य राज्य सभा में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजते हैं तो उन्हें ही नुकसान होगा । आप क्या कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।

Mr. Speaker in the Chair

एक भय यह व्यक्त किया गया है कि इससे फूट डालने वाली तथा अलगाव की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा **मझे** यह तर्क मान्य नहीं है मैं श्री एंथनी के विचारों से परिचित हूं क्योंकि जब हम भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर रहे थे तब उन्होंने ऐसे ही विचार व्यक्त किये थे ।

एक आरोप यह भी लगाया गया है कि हम सिक्किम को अपने देश के साथ मिला रहे हैं ।

हम अभी भी सिक्किम के अलग अस्तित्व को मानते हैं । सिक्किम में उनका अपना संविधान है । हम सिक्किम का भारत के साथ विलय नहीं कर रहे हैं । अतः मेरे लिये यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है ।

हम संविधान के इस संशोधन के द्वारा उन्हें हमारे बीच आने का अधिकार तथा संसद और जनमत को प्रभावित करने का अवसर दे रहे हैं । ऐसा हमने रियायत के रुप में किया है । इसका अर्थ विलय नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने सिक्किम के संविधान की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वह वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं है । हमारे अपने विचार हो सकते हैं । हमने सदैव इसी सिद्धांत का पालन किया है कि दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें । वे अपने संविधान के बारे में चाहे जो निर्णय करें ।

मैं सभा को य द दिलाना चाहूंगा कि इस नीति के अच्छे परिणाम भी निकले ह । हमने नेपाल या भूटान की राजनीतिक व्यवस्था की कभी भी आलोचना करने की कोशिश नहीं की है । हमारे पड़ोस में अनेक देश हैं । चाहे वहाँ कैसी भी शासन व्यवस्था हो, हम उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं । सिक्किम द्वारा जो संविधान स्वीकार किया गया है उसके बारे में हमारे अपने विचार हो सकते हैं । यह कहना गलत है कि चूंकि वहाँ भारतीय प्रारुपकार है । इसलिए उन्होंने यहां के कुछ विचार उसमें रख दिये हैं । वह उनकी सहायता करने के लिये एक विशेषज्ञ है । वह वहां पर सिक्किम के निर्वाचित प्रतिनिधियों की इच्छाओं को कार्य रूप देने के लिये ह ।

श्री नुरुल हूडा (कछार) : भारतीय अधिकारी को सिक्किम विधान मंडल का प्रमुख क्यों बनाया गया है ? चोग्याल के पद को क्यों रखा गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जो कुछ हम कर रहे हैं वह यह है कि हमने सिक्किम के निर्वाचित प्रतिनिधियों की इच्छाओं का आदर करने का निर्णय किया है। यदि वे चोग्याल को रखना चाहते हैं तो यह निर्णय उन्हें ही करना है। हमें उनके संविधान को दोबारा नहीं तयार करना है। जो कार्य उन्होंने हमें सौपा है उसे ही हमें करना है। इस संशोधन के द्वारा हम उन्हें संसद में प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। यही इस विधेयक का उद्देश्य है।

इस बात का उल्लेख किया गया है कि संघीय ढांचे की मूल संकल्पना में निहित एकात्मक प्रणाली में परिवर्तन किया जा रहा है। मुझे ऐसा कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि वे स्थिति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर इसका निर्णय करें। मुझे विश्वास है कि जब वे यहां बैठेंगे तो अपनी समस्याओं को समुचित ढंग से निपटायेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : यदि सिक्किम एसेम्बली ने इस संसद से अपने प्रतिनिधि वापस बुलाने का निर्णय किया तब क्या स्थिति होगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखता हूं। यह संविधान (संशोधन) विधेयक है इसलिये इस पर मतदान मत-विभाजन के द्वारा होगा।

प्रश्न यह है :

"कि भारत और सिक्किम के बीच सहयोग और परस्पर सम्बन्धों को मजबूत करने की सिक्किम की जनता की इच्छा पूरी करने के लिए भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में : 320 **विपक्ष में** : 9

Ayes: 320 Noes: 9

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : What about the Hon. Members who have neither voted in favour nor against nor abstained but are physically present in the House ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार चर्चा को लेंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैं अपना संशोधन सं० 43 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं अपना संशोधन सं० 58 प्रस्तुत करता हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं अपना संशोधन सं० 68 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : My amendment is that "shall be associated with the Union on the terms and conditions set out in that Schedule" should be substituted by "shall form part of the Union".

In the statement of objects and reasons, it has been stated that the Sikkim Assembly has unanimously decided that the Sikkimese people should be given representation in the Indian Parliamentary System. Membership of Parliament is, of course, a part of Parliamentary System, but it could not be termed as a complete Parliamentary System. We are providing here that these persons would be members of Lok Sabha and Rajya Sabha, but they would not be able to vote for the elections to the offices of President and Vice President. Vice President is **ex-officio** Presiding Officer of Rajya Sabha and how could he be denied a right to vote for the Presiding Officer.

By this Bill, we are introducing a new concept of Associate Membership in our Constitution. We should not create new complexities and should give a chance to them to become a full-fleged member of Union of India . . . **(Interruptions)**. They should be given Fundamental Rights and protection of Supreme Court. They should be citizens of India so that we could work unitedly for the peace and progress of Sikkim as well as India.

श्री पी० के० देव (कालाहाँडी) : मैं श्री बाजपेयी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं । विधेयक के खण्ड 2 के अनुसार सिक्किम की जनता भारतीय जनता का अभिन्न अंग है । उनकी यह महत्वाकांक्षा है कि वे भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हों । यह ऐतिहासिक दुर्घटना ही है कि विदेश मन्त्रालय सिक्किम के कार्यों की देखभाल कर रहा है । सिक्किम के प्रशासन, आर्थिक विकास और प्रतिरक्षा पर हम पहले ही व्यय कर रहे हैं । सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां राज्य बनाया जाय ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री बाजपेयी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने संशोधन पर जोर न दें, क्योंकि स्थिति बड़ी नाजुक है और देश में ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो यह भी नहीं चाहते कि सिक्किम इस देश का सह-सदस्य बने । मैं मंत्री महोदय से भी यह भी जानना चाहूंगा कि सिक्किम का सदस्य किस पक्ष की ओर बैठेगा और क्या वह नियम 199 के अधीन प्रस्ताव पेश कर सकेगा ?

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : अध्यक्ष महोदय ने पिछले सप्ताह यह निर्णय दिया था कि जिस सदस्य ने संशोधन का नोटिस नहीं दिया है, वह भाषण नहीं कर सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने संशोधनों के नोटिस दिए हैं, वे ही भाषण कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka): This has never been a rule.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): When an amendment has been introduced in the House, it becomes the property of the House.

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : अगर हमें संशोधनों पर पूरी चर्चा करने का मौका नहीं मिलता, तो यह काफी दुःख की बात होगी। ये संशोधन भी विधेयक की तरह महत्वपूर्ण हैं। (**व्यवधान**)

श्री समर गुह (कन्टाई) : मुझे मंत्री महोदय के इस वक्तव्य से दुःख हुआ है कि वह सिक्किम के पृथक अस्तित्व को नहीं बदल रहे हैं। हमने इस विधेयक में सिक्किम की जनता को भारत के राजनैतिक तन्त्र, आर्थिक और सामाजिक सहयोग, रोजगार और शिक्षाओं के अवसरों के साथ सम्बद्ध करने की व्यवस्था की है। भारत और सिक्किम के बीच सम्बन्ध संघ और राज्य के सम्बन्धों की तरह होंगे। सिक्किम की जनता की इच्छा का हम अनादर क्यों कर रहे हैं? (**व्यवधान**) सिक्किम की जनता संविधान के अनुसार भारत के साथ पुर्ण एक्य करने की इच्छुक है। इसलिए मेरा संशोधन यह है कि सिक्किम को सह सदस्य के बजाय राज्य का दर्जा दिया जाय।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : खण्ड 2 के बारे में मेरा एक छोटा सा संशोधन है। हमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया से कतई घबढ़ाना नहीं चाहिये। बंगलादेश के बारे में हम अपनी नीति पर दृढ़ रहे, तो बाद में बड़े राष्ट्रों को भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ा। मेरा संशोधन खण्ड 2क के बारे में यह है कि "जनमत संगृह के माध्यम से ऐसे सहयोग के लिए जनता की इच्छा का पता लगाने के बाद" शब्द जोड़ दिए जायें। आज विधान सभा के संकल्प के आधार पर कार्यवाही हो रही है ... (**व्यवधान**) विधान सभा में राजनैतिक स्थिति बदलती रह सकती है। जनमत संग्रह के बाद जो सहयोग स्थापित होगा, वह अटूट और चिर स्थायी होगा।

श्री स्वर्ण सिंह : एक सुझाव यह दिया गया है कि सिक्किम का भारत के साथ पुर्ण विलय किया जाय और सिक्किम को भारत के अन्य राज्यों के समान दर्जा दिया जाय। हम इकतरफा निर्णय नहीं कर सकते। इसमें बहादुरी की कोई बात नहीं है। सिक्किम जितना संशोधन चाहता है, उतना संशोधन ही हम कर रहे हैं। जनमत संग्रह की कोई बात ही नहीं है। हमारा अपने संविधान पर भी कोई जनमत संग्रह नहीं किया गया था। सिक्किम की विधान सभा ने सर्वसम्मति से संविधान पारित किया है। इसलिए मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधनों पर जोर न दें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 43 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 43 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 58 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 58 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 68 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 68 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

लोकसभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 325 विपक्ष में : शून्य

Ayes : 325 Noes : Nil

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड दो विधेयक में जोड़ा गया ।

Cluase 2 was added to the Bill.

खण्ड 2 (क)

Shri Madhu Limaye (Banka) : I beg to move my amendment Nos. 12 and 13.

I want that a new Clause as Article 11(A) be added in the constitution as following:

"The people of Sikkim shall enjoy the status of associate citizens." Secondly, "The people of Sikkim, although associate citizens of the Indian Union, shall enjoy all the fundamental rights enumerated in this Part."

The Sikkim Assembly has said in their Resolution that the people of Sikkim should enjoy the fundamental rights available to the citizens of India under Part III of the Constitution of India".

If we amend our Constitution, the Pro-Counsel of Sikkim would not be able to revise any Resolution of Sikkim Assembly and thus would not be able to suppress the fundamental rights of the Sikkimese people. For any change, two-third majority would be essential. By this we would be giving constitutional sanction to a Resolution already passed by Sikkimese Assembly.

At present, in the passport of Sikkimese people, they are shown as "Indian Protected Person". If my amendment is accepted, then they would be shown "Associate citizen of the Indian Union and Citizen of Sikkim" **(Interruptions).**

Shri Atal Bihari Vajpayee: It should be clarified that after this constitutional amendment Sikkim would not remain "Protectorate" and then there would not be any need of writing "Protected Citizen" on the passport.

श्री स्वर्ण सिंह : सिक्किम की विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव का आशय यह है कि सिक्किम में भी वे ही मूल अधिकार प्राप्त हों, जो भारतीयों को भारत में प्राप्त हैं। सिक्किम की विधान सभा ने अपने नागरिकों के अधिकार पहले ही दे दिए हैं। इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

खण्ड 2 के अनुसार, जो पहले ही पारित किया जा चुका है, यह व्यवस्था की गई है कि सिक्किम को भारत के साथ अनुसूची में दी गई शर्तों के अनुसार सम्बद्ध किया जाय।

दोनों सदनों द्वारा इस संशोधन को स्वीकार कर लेने के उपरांत रक्षित राज्य का दर्जा नहीं रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री मधुलिमिये के संशोधन संख्या 12 और 13 मतदान के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 12 और 13 मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 12 and 13 were put and negatived.

खण्ड 3

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं अपना संशोधन संख्या 59 प्रस्तुतत करता हूं।

The Minister for External Affairs has said that we can not change it unilaterly. I want to say that they themselves passed the Act. Clause 30 of the Act relates to relations with India. It says that the Government of Sikkim may seek participation and representation for the people of Sikkim in the political institutions of India. If you want that they may seek full participation in our political Institutions that means they should be given those rights and facilities under their Rules which are available under our Constitution. Therefore I have brought this amendment.

Shri Swaran Singh : I can not agree to it as it is not provided in their Act. By Political Institution means representation in the Parliament and that we are giving them under this Act.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 59 मतदान के लिए रखता हू।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 59 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 59 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 3 सभा के मतदान के लिए रखता हूं। संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इस पर मतदान मतविभाजन के द्वारा होगा। माननीय सदस्य दीर्घाएं खाली कर दें।

प्रश्न यह है :

" कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में : 319 विपक्ष में : शून्य

Ayes : 319 **Noes : Zero.**

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : खंड 4 पर कोई संशोधन नहीं। संविधान संशोधन होने के नाते इस पर मतदान मतविभाजन के द्वारा होगा। लाबी पहले से खाली की जा चुकी है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने"।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में : 317 विपक्ष में : शून्य

Ayes : 317 **Noes : Zero**

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 4-क (नया)

अध्यक्ष महोदय : इस पर श्री मधुलिमये का एक संशोधन है। क्या आप उसे प्रस्तुत कर रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : I am not moving it.

खण्ड 5

श्री मधु लिमये : मैं अपने संशोधन संख्या 16, 17, 18, 19, 20 प्रस्तुत करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 22, 23, 24, 27, 28 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नुरुल हुडा (कछार) : मैं अपने संशोधन संख्या 31, 32, 33 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 34 और 35 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैं अपने संशोधन संख्या 45, 46, 47, 48, 49 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 3, पंक्ति 8 से 31 तक के लिये निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जाये "

(b) the representative of Sikkim in the Council of States shall be elected by the members of the Sikkim Assembly;

(c) the representative of Sikkim in the House of the People shall be chosen by direct election, and for this purpose, the whole of Sikkim shall form one parliamentary constituency to be called the parliamentary constituency for Sikkim :

Provided that the representative of Sikkim in the House of the People in existence at the commencement of the Constitution (Thirty-fifth Amendment) Act, 1974, shall be elected by the members of the Sikkim Assembly;

(d) there shall be one general electoral roll for the parliamentary constituency for Sikkim and every person whose name is for the time being entered in the electoral roll of any constituency under the Government of Sikkim Act, 1974, shall be entitled to be registered in the general electoral roll for the parliamentary constituency for Sikkim;

(e) a person shall not be qualified to be the representative of Sikkim in the Council of States or the House of the People unless he is also qualified to be chosen to fill a seat in the Sikkim Assembly and in the case of any such representative—

(i) clause (a) of article 84 shall apply as if the words "is a citizen of India, and" had been omitted therefrom;

(ii) clause (3) of article 101 shall apply as if sub-clause (a) had been omitted therefrom;

(iii) sub-clause (d) of clause (1) of article 102 shall apply as if the words "is not a citizen of India, or" had been omitted therefrom;

(iv) article 103 shall not apply;

(f) every representative of Sikkim in the Council of States or in the House of the People shall be deemed to be a member of the Council of State

or the House of the People, as the case may be, for all the purposes of this Constitution except as respects the election of the President or the Vice-President :

Provided that in the case of any such representative, clause (2) of article 101 shall apply as if for the words "a House of the Legislature of a State", in both the places where they occur, and for the words "the Legislature of the State", the words "the Sikkim Assembly" had been substituted;

(g) if a representative of Sikkim, being a member of the Council of States or the House of the People, becomes subject to any of the disqualifications for being a member of the Sikkim Assembly or for being the representative of Sikkim in the Council of States or the House of the People, his seat as a member of the Council of States or the House of the People as the case may be, shall thereupon become vacant;

(ख) राज्य–सभा में सिक्किम का प्रतिनिधि सिक्किम विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा ;

(ग) लोक-सभा में सिक्किम का प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा और इस प्रयोजन के लिए सम्पुर्ण सिक्किम एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा जिसे सिक्किम के लिए संसदीय निर्वाटन-क्षेत्र कहा जाएगा :

परन्तु संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ पर विद्यमान लोक सभा में सिक्किम का प्रतिनिधि सिक्किम विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होगा ;

(घ) सिक्किम के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावलि होगी और प्रत्येक व्यक्ति जिसका उस समय नाम सिक्किम शासन अधिनियम, 1974 के अधीन किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावलि में प्रविष्ट है, सिक्किम संसदीय निर्वाचक नामवलि में रजिस्टर किए जाने का हकदार होगा ;

(ङ) कोई व्यक्ति जो सिक्किम विधान सभा के स्थान की पूर्ति के लिए चुने जाने के लिए अर्ह नहीं है, राज्य-सभा या लोक-सभा में सिक्किम का प्रतिनिधि होने के लिए अर्हित नहीं होगा और ऐसे किसी प्रतिनिधि की दशा में–

(i) अनुच्छेद 84 का खंड (क) इस प्रकार लागू होगा मानो "भारत का नागरिक न हो अथवा" शब्दों का लोप कर दिया गया है,

(ii) अनुच्छेद 101 का खंड (3) इस प्रकार लागू होगा मानो उपखंड (क) का लोप कर दिया गया है,

(iii) अनुच्छेद 102 के खंड (1) का उपखंड (घ) इस प्रकार लागू होगा मानो "भारत का नागरिक नहीं है अथवा" शब्दों का लोप कर दिया गया है,

(iv) अनुच्छेद 103 लागू नहीं होगा ;

(च) राज्य सभा या लोक-सभा में सिक्किम का प्रत्येक प्रतिनिधि, यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा का, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को छोड़कर, इस संविधान के सभी प्रयोजनों के लए निर्वाचित सदस्य समझा जाएगा :

परन्तु सिक्किम के ऐसे प्रतिनिधि की दशा में अनुच्छेद 101 का खंड (2) इस उपान्तर सहित लागू होगा कि "किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, और "राज्य के विधान मंडल" शब्दों के स्थान पर "सिक्किम विधान सभा" शब्द रखे गए हैं ;

(छ) यदि सिक्किम का कोई प्रतिनिधि जो राज्य सभा या लोक-सभा का सदस्य है, सिक्किम विधान सभा की सदस्यता के लिए अथवा राज्य-सभा या लोक-सभा में सिक्किम का प्रतिनिधि होने के लिए किसी अनर्हता से ग्रस्त हो जाता है तो ऐसा होने पर, यथा स्थिति, राज्य-सभा या लोक-सभा के सदस्य के रूप में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा ;

(संख्या 51)

पृष्ठ 3, पंक्ति 32, :–

"(F)" "(च)" के स्थान पर "(h)" "(ज)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 52)

पृष्ठ 3, पंक्ति 35 :–

"(e)" "(ङ)" के स्थान पर "(g)" "(छ)" प्रतिस्थापित किया जाये

(संख्या 53)

पृष्ठ 3, पंक्ति 40 :–

"(g)" "(छ)" के स्थान पर "(i)" "(झ)" प्रति स्थापित किया जाये ।

(संख्या 54)

पृष्ठ 3, पंक्ति 40–41 :–

"Preparation for" (तैयारी) के स्थान पर "Preparation of the electoral rolls for" "निर्वाचक नामावलि की तैयारी के लिए" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 55)

पृष्ठ 3, पंक्ति 46 :–

"(h)" "(ज)" के स्थान पर "(j)" (ञ)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 56)

पृष्ठ 4, पंक्ति 3 :–

"(i)" "(झ)" के स्थान पर "(k)" "(ट)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 57)

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं अपने संशोधन संख्या 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 और 69 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Madhu Limaye: 10th Schedule of this Bill is very important. It needs certain changes. Some people had expressed the fear that what would happen if at a later stage the Sikkim Assembly makes a plea that it wants to put an end to this situation and terminate the association. In order to alleviate this fear there should be a provision in the 10th Schedule to the effect that the association of Sikkim with the Indian Union shall be on a permanent basis and can not be terminated. This is not a new thing. It exists in respect of other states. A similar provision exists in the constitution of U.S.A. as well.

Powers have been given to issue certain orders. But it should be provided that these ordes shall be laid before the two houses and discussed in these Houses.

Lok Sabha representative from Sikkim should be elected on the basis of adult franchise. As the Government has already accepted it I am not pressing for it.

I also propose that that representative should be permitted to take part in elections to the offices of President and Vice-President.

श्री नुरूल हुडा : विधेयक की अनुसूची 10 में उल्लेख है कि राज्य सभा और लोक सभा के लिये प्रतिनिधियों का चुनाव सिक्किम विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जायेगा । इसमें मेरा संशोधन यह है कि उस प्रतिनिधि को सिक्किम विधान सभा के संकल्प द्वारा वापस बुलाये जाने का उपबन्ध होना चाहिये । सिक्किम के लोगों के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । सिक्किम के लोगों के अधिकारों को सरक्षंण दिया जाना चाहिये । उन्हें किसी भी समझौते एवं कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों को परिवर्तित करने का अधिकार होना चाहिये । सिक्किम की अलग सत्ता और उसकी लोकतन्त्रात्मक संस्थाओं के आदर की दृष्टि से यह आवश्यक है । सिक्किम की जनता को, यदि आवश्यक हो ती चोग्याल के पद को समाप्त करने का भी अधिकार होना चाहिये ।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरा संशोधन यह है कि भारत सरकार सिक्किम के लोगों की विशेष संस्कृति और भाषायी सत्ता की रक्षा और विकास करने के लिये उत्तरदायी हो । मेरे कुछ संशोधन सरकारी संशोधनों के अनुरूप हैं अत: मैं उन पर बल नहीं दे रहा हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : खंड 2 के उपखण्डों (ख), (ग) और (ङ) के संबंध में भारत सरकार को सिक्किम सरकार की राय लेनी चाहिये । सभी बातें सरकारी अफसरों के हाथों में नहीं छोड़ी जानी चाहिये ।

पैरा 2 (1) के खंड (क) के अधीन मामलों के बारे में जारी किये गए सामान्य तथा विशेष आदेशों से अतिरिक्त इस पैरा के अधीन जारी किये गए सभी सामान्य व विशेष आदेश संसद

के दोनों सदनों के सामने रखे जाने चाहिये और सिक्किम विधान सभा को भी प्रेषित किये जाने चाहियें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: It is a matter of pleasure that the Government has agreed to it that Sikkim's representative would be directly elected by the people of Sikkim.

Members of Parliament from Sikkim should be allowed to take part in elections for the offices of President and Vice-President. All orders issued by the President should be laid before each House of the Parliament and before the Sikkim Assembly.

My amendment 49 is also necessary. There will not be any difficulty when our Citizenship Act 1955 is made applicable there. Untill that time it is not necessary to make applicable sub-clause (d) of the clause (1) of article 102.

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : विरोधी दलों के नेताओं से हुई चर्चा के परिणाम स्वरूप दो बातें स्वीकार की गई हैं । पहली यह कि लोकसभा का सिक्कमी सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे चुनाव से चुना जायेगा तथा दूसरे उनकी वे सभी अनतर्तायें भी होंगी जो हमारे संविधान में बतायी गयी हैं ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : सरकार को मेरे संशोधन संख्या 60 की ओर ध्यान देना चाहिये । छात्रों को सुविधाओं के स्थान पर शैक्षिक सुविधायें शब्द लाये जाने चाहियें ।

अब में अपना संशोधन संख्या 61 लेता हूं । हम सिक्किम छात्रों को भारत में बसने और नौकरी की सुविधा देते आये हैं यदि भारत में सिक्किमी लोग बड़ी संख्या में बस जाते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता और मूलभूत अधिकारों की सुविधा भी नहीं मिलेगी । इन लोगों को मूलभूत अधिकार दिलाये जाने चाहियें ।

सिक्किम के संसद सदस्यों को सिक्किम विधान सभा के दो तिहाई बहुमत से पास किये गये संकल्प के आधार पर वापस बुलाया जायेगा । इनको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया जाये ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : क्या सिक्किम के लोगों का लोकसभा तथा राज्य सभा के लिये निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जायेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : सदस्यों को वापस बुलाने की बात एक नया ही विचार है तथा हम इसे सिक्किम के सदस्यों के सम्बन्ध में पहली बार संविधान में नहीं जोड़ेंगे । जब कभी संसद संविधान में संशोधन कर मतदाताओं को सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार दे देगी तब इसका विस्तार सिक्किम तक कर दिया जायेगा ।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा दिये गये निर्णयों को सभा पटल पर रखा जाये। सिद्धान्ततः हम संसद को जानकारी में रखना चाहते हैं । मैं सरकार की ओर से यह आश्वासन

देता हूं कि खंड 5 के उपखंड 2 के उपखंड (ख), (ग); (घ) और (ङ) से सम्बन्धित सभी प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी।

इस प्रकार के कुछ संशोधन भी आये हैं कि ऐसा उपबन्ध किया जाये कि संविधान में जोड़े गये अंशों को कभी बदला न जा सके। यह एक ओर के निर्णय से नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में काफी विचार किया गया है। हमारी मुख्य कठिनाई यह है कि वे भारतीय संघ में नहीं हैं। प्रत्येक मत का मूल्य निकाला जाता है इसीलिये यह मूल्य प्रत्येक राज्य के सदस्यों का भिन्न भिन्न है। अतः हमने यह ठीक समझा कि इस समय यह अधिकार सिक्किम के लोगों को देना बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मधु लिमये के संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 16, 17, 18, 19 और 20 मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 16, 17, 18, 19 and 20 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री भोगेन्द्र झा के संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 22, 23, 24, 27 और 28 मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 22, 23, 24, 27 and 28 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री नुरूल हुडा के संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा 31, 32 तथा 33 मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 31, 32 and 33 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 34 और 35 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 45 से 49 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

The amendment No. 45 to 49 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 8 से 31 तक निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये।

(b) the representative of Sikkim in the Council of States shall be elected by the members of the Sikkim Assembly;

(c) the representative of Sikkim in the House of the People shall be chosen by direct election, and for this purpose, the whole of Sikkim shall

form one parliamentary constituency to be called the parliamentary constituency for Sikkim :

Provided that the representative of Sikkim in the House of the People in existence at the commencement of the Constitution (Thrity-fifth Amendment) Act, 1974, shall be elected by the members of the Skikkim Assembly;

(d) there shall be one general electoral roll for the parliamentary constituency for Sikkim and every person whose name is for the time being entered in the electoral roll of any constituency under the Government of Sikkim, Act, 1974, shall be entitled to be registered in the general electoral roll for the parliamentary constituency for Sikkim;

(e) a person shall not be qualified to be the representative of Sikkim in the Council of States or the House of the People unless he is also qualified to be chosen to fill a seat in the Sikkim Assembly and in the case of any such representative—

(i) clause (a) of article 84 shall apply as if the words "is a citizen of India, and" had been omitted therefrom;

(ii) cluase (3) of article 101 shall apply as if sub-clause (a) had been omitted therefrom;

(iii) sub-clause (d) of clause (1) of article 102 shall apply as if the words "is not a citizen of India, or" had been omitted therefrom;

(iv) article 103 shall not apply;

(f) every representative of Sikkim in the Council of States or in the House of the People shall be deemed to be a member of the Council of States or the House of the People, as the case may be, for all the purposes of this Constitution except as respects the election of the President or the Vice-President:

Provided that in the case of any such representative, clause (2) of article 101 shall apply as if for the words "a House of the Legislature of a State", in both the places where they occur, and for the words "the Legislature of the State", the words "the Sikkim Assembly" had been substituted;

(g) if a representative of Sikkim, being a member of the Council of States or the House of the People, becomes subject to any of the disqualifications for being a member of the Sikkim Assembly or for being the representative of Sikkim in the Council of States or the House of the People, his seat as a member of the Council of States or the House of the People, as the case may be, shall thereupon become vacant;

(ख) राज्य-सभा में सिक्किम का प्रतिनिधि सिक्किम विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा ;

(ग) लोक सभा में सिक्किम का प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा और इस प्रयोजन के लिये सम्पूर्ण सिक्किम एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा जिसे सिक्किम के लिये संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र कहा जायेगा :

परन्तु संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ पर विद्यमान लोक-सभा में सिक्किम का प्रतिनिधि सिक्किम विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा ;

(घ) सिक्किम के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिये एक साधारण निर्वाचन नामावलि होगी और प्रत्येक व्यक्ति जिसका उस समय नाम सिक्किम शासन अधिनियम 1974 के अधीन किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावलि में प्रविष्ट है, सिक्किम संसदीय निर्वाचक नामवलि में रजिस्टर किये जाने का हकदार होगा ;

(ङ) कोई व्यक्ति जो सिक्किम विधान सभा के स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के लिये अर्ह नहीं है, राज्य-सभा या लोक-सभा में सिक्किम का प्रतिनिधि होते के लिये अर्हित नहीं होगा और ऐसे किसी प्रतिनिधि की दशा में—

(i) अनुच्छेद 84 का खंड (क) इस प्रकार लागू होगा मानो "भारत का नागरिक न हो अथवा" शब्दों का लोप कर दिया गया है ;

(ii) अनुच्छेद 101 का खंड (3) इस प्रकार लागू होगा मानो उपखंड (क) का लोप कर दिया गया है ;

(iii) अनुच्छेद 102 के खंड (1) का उपखंड (घ) इस प्रकार लागू होगा मानो, "भारत का नागरिक नहीं है अथवा" शब्दों का लोप कर दिया गया है ;

(iv) अनुच्छेद 103 लागू नहीं होगा ;

(च) राज्य-सभा या लोक-सभा में सिक्किम का प्रत्येक प्रतिनिधि यथास्थिति, राज्य-सभा या लोक-सभा का, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को छोड़कर इस संविधान के सभी प्रयोजनों के लिये निर्वाचित सदस्य समझा जाएगा :

परन्तु सिक्किम के ऐसे प्रतिनिधि की दशा में अनुच्छेद 101 का खंड (2) इस उपान्तर सहित लागू होगा कि "किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, और "राज्य के विधान मंडल" शब्दों के स्थान पर "सिक्किम विधान सभा" शब्द रखे गये हैं ;

(छ) यदि सिक्किम का कोई प्रतिनिधि जो राज्य-सभा या लोक-सभा का सदस्य है, सिक्किम विधान सभा की सदस्यता के लिये अथवा राज्य-सभा या लोक-सभा में सिक्कम का प्रतिनीधि होने के लिए किसी अनर्हता से ग्रस्त हो जाता है तो ऐसा होने पर यथास्थिति, राज्य-सभा या लोक-सभा के सदस्य के रूप में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा ;

पृष्ठ 3, पंक्ति 32 :–

"(F)" "(च)" के स्थान पर "(h)" "(ज)" ।

पृष्ठ 3, पंक्ति 35 :–

"(e)" "(ङ)" के स्थान पर "(g)" "(छ)" ।

पृष्ठ 3, पंक्ति 40 :–

"(g)" "(छ)" के स्थान पर "(i)" "(झ)"

पृष्ठ 3, पंक्ति 40–41 :–

"Preparation for" (तैयारी) के स्थान पर "Preparation of the electoral rolls for" "(निर्वाचक नामावलि की तैयारी)" ।

पृष्ठ 3, पंक्ति 46 : "(h)" "(ज)" के स्थान पर "(j)" "(ञ)" ।

पृष्ठ 4, पंक्ति 3 "(i)" "(झ)" के स्थान पर "(k)" "(ट)"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 60 से 67 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments Nos. 60 to 67 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सशोधन संख्या 69 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 5 संशोधित रूप में मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने "।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्षम में :	304
Ayes :	**304**
विपक्ष में :	000
Noes :	**000**

यह प्रस्ताव सभा की सदस्य संख्या बहुमत से तथा उपस्थित और मतदन करने वाले संदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया ।

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 5, संशोधित रूप में जोड़ दिया गया ।

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

नया खण्ड 6

New Clause 6

श्री मधु लिमये (बांका) : मैं अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 70 प्रस्तुत करता हूं ।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यह आवश्यक नहीं है कि संशोधन स्वीकार ही किये जायें ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय संशोधन संख्या 21 तथा 70 को स्वीकार नहीं कर रहें हैं । अब मैं इन संशोधनों को मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 21 तथा 70 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

Amendment Nos. 21 and 70 were put and negatived.

खण्ड 1

Clause 1

श्री स्वर्ण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 1 पंक्ति 3 और 4 में :–

"(छलीसवां संशोधन)" "(Thirty sixth Amendment)" शब्दों के स्थान पर "(पैंतीसवां संशोधन)" "(Thirty fifth amendment)" शब्द रख दिये जायें ।

संख्या 50

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि पृष्ठ 1 पंक्ति 3 और 4 में :

"(छत्तीसवां संशोधन)" "(Thirty sixth Amendment)" शब्दों के स्थान पर "(पैंतीसवां संशोधन)" "(Thirty fifth amendment)" शब्द रख दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में : 306

Ayes : 306.

विपक्ष में : 000

Noes : Zero.

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया।

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में, जोड़ दिया गया

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

The Enacting formula and the long title were added to the Bill.

श्री स्वर्ण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : यह प्रसन्नता का विषय है कि हममें से अधिकांश सदस्यों ने इस विधेयक को स्वीकार किया है। सरकार ने अचानक यह विधेयक पेश किये इसलिये सदस्यों के मस्तिष्कों में कुछ संशय थे। हमें चर्चा के लिये भी पर्याप्त समय नहीं दिया गया। परन्तु सभी संशय दूर हो गये हैं और सभी ने विधेयक स्वीकार कर लिया है। हमें महासंघ की कल्पना का विशेध नहीं करना चाहिये हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सिक्किम अब संरक्षित राज्य न रहकर सहराज्य हो गया है तथा इसका एतिहासिक महत्व है।

यदि हम राजनैतिक गतिविधियों से विभिन्नता में एकता उपलब्ध कर सकते हैं तो हम ऐसा करेंगे। देश के बल तथा नैतिक शक्ति से हम इसे प्राप्त करेंगे।

Shri Madhu Limaye: I do not oppose the Concept of confediality. This government does not accept this Concept.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : बहुत शीघ्र मत विधेयक कानून में परिणत हो जायेगा। आज का निर्णय एक ऐतिहासिक दिन गिना जायेगा। सिक्किम के लोगों की सत्ता को बनाये रखा

जाना चाहिये । देश के आर्थिक विकास में क्षेत्रीय विषमतायें हैं । हमारे कंधों पर जो सिक्किम के आर्थिक विकास का भार आया है हमें उसे भलीभांति वहन करना चाहिये ।

Shri Shankar Dev (Bidar) : This is an achievement of our foreign policy that our neighbouring countries are coming very close to us and our Federation is extending. A day will come when all the countries of the world will be united and there will be a conferderation of the world.

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस शुभ अवसर पर सिक्किम की जनता को बधाई देता हूं । इस महत्वपूर्ण निर्णय से भारत और सिक्किम के सम्बन्धों में घनिष्टता आयेगी और सिक्किम में लोकतंत्र की आधारशिला सुदृढ़ होगी । हम उसकी प्रथक सत्ता का आदर करते हैं तथा उसके विलय का मामला एक अलग बात है ।

यह निर्णय सिक्किम और भारत की जनता के हित में लिया गया है । मैं सिक्किम की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि उनके सर्वतोमुखी विकास का दायित्व अब हम पर है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये "

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में :	310
Ayes :	**310.**
विपक्ष में :	7
Noes :	**7.**

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया ।

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक सभा बृहस्पतिवार, 5 सितम्बर, 1974/14 भाद्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे मध्या० पु० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 5th September, 1974/Bhadra 14, 1896 (Saka).

M/J(N)11LSS—490—24-3-75—GIPS